वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक
अप्रैल 16–30, 2025

हिन्दू विश्व

उम्मीद से होगा

पक्के कागज और कच्चे कागज का नीर क्षीर

@eHinduVishwa
/HinduVishwa

छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में आयोजित
शौर्यकुंभ को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे

नई दिल्ली के विहिप मुख्यालय में संघ के वरिष्ठ प्रचारक व विहिप केन्द्रीय प्रबंध समिति के सदस्य
मा. धर्मनारायण शर्मा जी की श्रद्धाँजलि सभा को संबोधित करते विहिप अध्यक्ष मा. आलोक कुमार जी

भोपाल में भोपाल विभाग की बैठक में प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उपस्थित बजरंग दल के रा. संयोजक श्री नीरज दौनेरिया जी

अण्डमान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौमांस से भरी गाड़ी पकड़कर पुलिस के हवाले की। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को जानकारी सौंपते अण्डमान के विहिप–बजरंग दल के कार्यकर्ता

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

16–30 अप्रैल, 2025

बैशाख कृष्ण - शुक्ल पक्ष

पिंगल संवत्सर

वि. सं. – 2082, युगाब्द– 5127

सम्पादक

विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक

मुरारी शरण शुक्ल

मो. – 7217685539

परामर्शदाता

सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा, धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार, रवि पराशर

व्यवस्थापक

श्री दूधनाथ शुक्ल

मो. – 09582555152

सज्जा

श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :

'हिन्दू विश्व'

संकटमोचन आश्रम, प्रभाग – 6

रामकृष्णपुरम्,

नई दिल्ली–110022–05

दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495

hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए वार्षिक डाक व्यय सहित	$ 75 USD
एक प्रति	15/–
वार्षिक	300/–
त्रिवर्षीय	750/–
पंचवर्षीय	1,200/–
दसवर्षीय	2,250/–
पन्द्रह वर्षीय	3,100/–

पत्रिका की सदस्यता हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें, उसका स्क्रीन शॉट और अपना पता व्यवस्थापक को 9582555152 नम्बर पर भेजें।

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

कुल पेज – 28

हे पशुपालक रुद्रदेव ! जिसमें ये सम्पूर्ण लोक स्थित हैं, वे वसुओं के निवास रूप, विश्वरूप (अण्डकटाहात्मक) विशाल कोश आपके ही हैं। ऐसे आप हमें सुख प्रदान करें, आपके लिए हमारा नमस्कार है। मांसभोजी सियार और कुत्ते आदि सभी हमसे दूर रहें। अमंगलकारी शब्दों से रोने वाली, बालों को खोलकर चिल्लाने वाली पैशाचिक वृत्तियाँ हमसे दूर अन्यत्र चली जाएँ।।

– अथर्ववेद

123 के चक्कर में स्वाधीन हुई देश की लाखों संपत्तियाँ	05
मुस्लिम आरक्षण अवैधानिक	10
महाराणा संग्राम सिंह : एक अद्‌भुत व्यक्तित्व	12
विदेशों में हिन्दू मन्दिरों पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण	15
घुसपैठियों के लिए आसान लांचिंग पैड नेपाल बॉर्डर के मदरसे	17
जिहादी बेखौफ होकर हिन्दू क्षेत्रों में उपद्रव कैसे कर पाते हैं?	19
मा. धर्मनारायण शर्मा जी की श्रद्धांजली सभा	20
वसन्त ऋतु में आहार–विहार	22
रोटोरुआ मराठी मंडल ने पहली बार गुड़ी पड़वा समारोह का आयोजन किया	23
अण्डमान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौमांस से भरी गाड़ी पकड़ी	24
बजरंग दल मालवा प्रांत शौर्यकुंभ, इंदौर गुलामी का कोई चिन्ह भारत भूमि पर नहीं रहेगा : मिलिंद परांडे	25
दक्षिण तमिलनाडु में कार्यकारी समिति की बैठक	26

सुभाषित

उपाध्यायाद्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रेण पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते।।

उपाध्याय से आचार्य का दस गुना महत्त्व है, आचार्य से सौ गुना पिता का और पिता से हजार गुना अधिक गौरव माता का है।

मुस्लिम इंडिया बनाने का स्वप्न दंडनीय है

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

1954 में वक्फ बोर्ड बना, जिसमें मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिमों के हितों के लिए दान की गई भूमि के रख–रखाव तथा उनके उपयोग की शक्ति इसे प्रदान की गई थी। 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया, लेकिन 2013 में काँग्रेस की सरकार ने इस बोर्ड को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी। इस अधिनियम का प्रभाव यह हुआ कि 2008 तक जिस वक्फ बोर्ड के पास 6 लाख एकड़ भूमि थी, उसके पास आज 9 लाख एकड़ भूमि से अधिक हो गई है। आखिर बोर्ड के पास यह अतिरिक्त भूमि कहाँ से आ गई? गैर मुस्लिमों की लाखों एकड़ भूमि पर बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, फिर क्या देश भर से इस प्रकार के समाचार आने लगे, सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर हों, या फिर सरकारी भूमि, सब पर दावा। ऐसे समय में वक्फ बोर्ड ने जिस भूमि पर झूठे दावे करके अपना बताया, उनकी रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड कानून 2025 पारित हुआ है। अब मुस्लिमों के द्वारा देश में आग लगाने की बात हो रही है, देशभर में दंगे भड़काने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।

मुस्लिम इंडिया बनाने के दिवा स्वप्न से बाज आएँ मुस्लिम बुद्धिजीवी, क्योंकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी नेता व संगठन देश के मुसलमानों को भड़काने, बरगलाने व हिंसा के लिए उकसाने में सतत् रूप से सक्रिय हैं। झूठ फैलाकर दुष्प्रचार करने वाली इस गैंग में अब कुछ कथित मुस्लिम बुद्धिजीवी भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में एक पत्र देश के मुस्लिम सांसदों को लिखा है। यह पत्र मिथ्या प्रचार कर मुस्लिम समाज को हिंसा व देश विरोध के लिए प्रेरित करने के साथ ही संसदीय व्यवस्था तथा संविधान का सीधा–सीधा उल्लंघन है। इस पत्र के माध्यम से उनके मुस्लिम इंडिया बनाने के मंसूबों की भी कलई खुल गई है, जो सपना कभी कट्टरपंथी नेता सैयद शहाबुद्दीन ने भी देखा था।

पत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की तो बात की है, किंतु उसमें नाम सिर्फ मुसलमानों का लिया है। इसमें "मुस्लिम समाज का गला घोंटने" और "मुसलमानों के गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए संघर्ष" करने के लिए उकसाने की बात की है। पत्र में "मुसलमानों की सामूहिक आवाज को बुलंद कर संसद के अंदर व बाहर प्रदर्शन व संसद के बहिष्कार की अपील भी की है, जिससे देश–विदेश के मीडिया का रणनीतिक रूप से ध्यान आकृष्ट किया जा सके।"

वास्तव में यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पत्र के हस्ताक्षरकर्ता सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता या जिहादी संगठन नहीं, अपितु, उनके साथ भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की शपथ खा कर विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस, सैन्य अधिकारी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, विश्व विद्यालयों के कुलपति, वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार बने लोग भी शमिल हैं। इन सब के लिए देश से बड़ा मजहब है, जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें पता है कि जब मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों पर उतरते हैं, तो हिंसा, उपद्रव व आगजनी के अलावा कुछ नहीं करते, फिर भी उन्हें इसके लिए उकसा रहे हैं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कथित मुसलमानों के अलावा देश के सभी अल्पसंख्यक इस नए कानून से प्रसन्न हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वक्फ बोर्ड व उसके अवैध कब्जाधारियों के आतंक से त्रस्त हैं।

स्मरण रहे कि भारत एक संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी मूल आत्मा संविधान है। किसी भी संगठन द्वारा यह कहना या संकेत देना कि उनके लिए मज़हबी कानून संविधान से ऊपर है, न केवल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी अपमान है।

केंद्र सरकार और न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि देश में घृणा, अराजकता फैलाने वाले तथा विभाजनकारी इस पत्र प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि इसी मानसिकता ने पहले ही भारत का विभाजन कराया था। किसी भी मज़हबी या जातिगत संगठन को संविधान की मर्यादा को लांघने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।

भारत एक संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी मूल आत्मा संविधान है। किसी भी संगठन द्वारा यह कहना या संकेत देना कि उनके लिए मज़हबी कानून संविधान से ऊपर है, न केवल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी अपमान है।

विनोद बंसल

राष्ट्रीय प्रवक्ता विहिप

123 के चक्कर में स्वाधीन हुईं देश की लाखों संपत्तियाँ

30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा और वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रारंभ होते ही देश की संसद ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया, जिसे यदि भारत की संपत्तियों का स्वाधीनता दिवस कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 व 2013 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान कर वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार लाना है। अब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इस कानून में संशोधन कानून की जड़ में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा देश की संपत्तियों को कट्टरपंथी जमात के अवैध कब्जे से रोकने के प्रति उसके 30 वर्ष की सतत साधना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह साधना क्या है और कैसे 123 की मुक्ति का यह अभियान देश की करोड़ों संपत्तियों को स्वाधीन कर गया, यह जानना जरूरी है।

एक शताब्दी पूर्व सरकार द्वारा अधिगृहित सम्पत्तियों का भू स्वामी, स्वयं सरकार द्वारा ही, क्षणभर में बदल दिया जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तत्कालीन यूपीए नीत केन्द्र सरकार ने सोचा कि सौ वर्षों से ज्यादा पुराना विवाद रविवार दिनांक 3 मार्च 2014 को जल्दी में बुलाई गई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। इसी दिन दिल्ली के अति–महत्त्वपूर्ण स्थानों पर स्थित 123 भू–सम्पत्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व सरकार के लैण्ड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ़िस (एलएनडीओ) के कब्जे से छुड़ा कर दिल्ली वक्फ़ बोर्ड को सौंपा दिया गया था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संबन्ध में जो सरकारी अधिसूचना या गजट नोटीफ़िकेशन 5 मार्च 2014 को ठीक उसी दिन जारी हुआ, जिस दिन चुनाव आयोग ने देश की सोलहवीं लोक सभा के चुनावों की घोषणा की। इनमें से कई सम्पत्तियाँ तो अति सुरक्षा वाले उप राष्ट्रपति भवन के साथ–साथ राजधानी के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में भी हैं। इन सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में गत 40 वर्षों से अधिक समय से विविध न्यायालयों में वाद भी चल रहे थे। किन्तु, वोटों की विसात् आखिर क्या–क्या गुल खिलाती है, किसी से कुछ छुपा नहीं है!

मामले में थोड़ा और पीछे चलते हैं। बात वर्ष 1970 की है, जब अचानक दिल्ली वक्फ़ बोर्ड ने एक तरफ़ा निर्णय लेते हुए इन सभी सम्पत्तियों को एक नोटिफ़िकेशन जारी कर वक्फ़ संपत्तियाँ घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करते हुए इस निर्णय के विरुद्ध बोर्ड को प्रत्येक सम्पत्ति के लिए नोटिस जारी कर इन्हें वक्फ़ सम्पत्ति मानने से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने बोर्ड के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और सभी 123 संपत्तियों के लिए 123 वाद न्यायालय में दायर किए। मसला यह था कि ये सभी संपत्तियाँ तत्कालीन भारत सरकार ने आजादी से पूर्व वर्ष 1911 से 1915 के दौरान उस समय अधिगृहित की थीं, जब अँग्रेजों ने दिल्ली

को पहली बार अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था। बाद में इनमें से 62 को डीडीए को दे दिया था। अधिकांश संपत्तियाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी कॉलोनी, मान सिंह रोड, पण्डारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, संसद मार्ग, करोल बाग, सदर बाज़ार, दरिया गंज व जंग पुरा जैसे वीवीआईपी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनका मूल्य व महत्त्व आसानी से समझा जा सकता है, जो आज अरबों–खरबों में है।

वर्ष 1974 में भारत सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन कर इन सम्पत्तियों से जुड़े मामले का अध्ययन कर, उसे रिपोर्ट देने का निर्णय लिया। किन्तु, जिन महाशय को सरकार ने इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया वे, श्री एस एम एच वर्नी, पहले से ही वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष थे। चोर को ही थानेदार बना कर कमेटी की निष्पक्षता पर पहले ही दिन से प्रश्न चिह्न लग गया। रिपोर्ट में इन्होंने स्वयं लिखा कि इस कमेटी को दो सम्पत्तियों में तो घुसने तक नहीं दिया गया, जिनमें से एक उप–राष्ट्रपति भवन और दूसरी देश के अति संवेदनशील वायरलेस स्टेशन के अन्दर थी। किन्तु, इस सब के बावजूद भी जैसा कि पूर्व निर्धारित था, कमेटी ने इन सभी सम्पत्तियों को वक्फ़ सम्पत्तियाँ घोषित कर दिया। इसके बाद औपचारिकता पूरी करते हुए इंदिरा गाँधी जी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस वर्ष के आम चुनावों से ठीक पूर्व दिनांक 27.03. 1984 को जारी ऑफिस आदेश सँख्या J. 20011/4/74.1–II के माध्यम से इन सभी संपत्तियों को एक रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर वक्फ़ बोर्ड को देने का निर्णय कर लिया।

विहिप ने देखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबी केंद सरकार मजहबी कट्टरपंथियों के समक्ष कैसे आत्म समर्पण कर चुकी है और राजनीतिक दल इस पर अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। तब उसने जून 1984 में जनहित याचिका सँख्या WP(C) 1512/1984 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने न सिर्फ़ सरकारी आदेश पर रोक संबंधी स्थगन

आदेश पारित किया, बल्कि सरकार से बारम्बार पूछा कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति भी है कि वह किसी मजहब विशेष को अपनी मजहबी मान्यताओं की पूर्ति हेतु कोई संपत्ति पट्टे पर दे सके। किन्तु, सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं थी। इसलिए कोई संतोषजनक जबाव भी नहीं आया।

दिनांक 26.08.2010 को भारत के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पराग पी त्रिपाठी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि सरकार चार सप्ताह के अन्दर इस संबन्ध में कोई नीतिगत निर्णय ले कर सूचित करेगी। किन्तु, चार सप्ताह की बात तो दूर, पूरा वर्ष 2010 बीत जाने पर भी जब सरकार नहीं लौटी, तो सत्ताईस वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 12.01.2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने विहिप दिल्ली की याचिका का निस्तारण यह कहकर कर दिया गया कि "भारत सरकार इस मसले पर पुनर्विचार कर छः मास के अन्दर निर्णय ले और तब तक न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा"।

जिस मसले के समाधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय बार–बार कह–कह कर थक गया, किन्तु सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी, चुनावी डंके की चोट कानों में पड़ते देख आनन–फ़ानन में यूपीए–2 की मनमोहन सिंह जी की सरकार की अन्तिम केबिनेट बैठक में एक बार फ़िर से इस सभी 123 सम्पत्तियों को वक्फ़ बोर्ड को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस अफ़रा–तफ़री में सरकार शायद यह भूल गई कि इस संबन्ध में भारत राजपत्र सँख्या 566 व कार्यालय आदेश सँख्या 661(E) ठीक उसी दिन (यानि 5 मार्च 2014) जारी कर दिया गया, जिस दिन आम चुनावों की घोषणा भारत के चुनाव आयोग ने की थी।

तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने पहले तो 1995 के वक्फ कानून में, वर्ष 2013 में खतरनाक संशोधन किए और फिर उसी की ढाल बना कर सौ वर्ष से अधिक पुरानी सम्पत्तियों को चुनावी वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया था। किन्तु, विहिप यहाँ भी कहाँ हार मानने वाली थी! वह इस निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के गंभीर उल्लंघन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुँच गया। यहाँ चुनाव आयोग ने सरकार का वह आदेश निरस्त कर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

चुनावों में सत्ताधारी दल करारी हार के बाद, जनता की गाढ़ी कमाई से अर्जित संपत्तियों को यूँ फ्री में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिए जाने के विरुद्ध, इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दू परिषद एक बार फिर उच्च न्यायालय की शरण में पहुँचा और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद माननीय न्यायाधीश ने मामले को नई सरकार के समक्ष रखने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद विहिप का एक

उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल केंद्र सरकार से मिला, जिसके बाद सरकार ने सभी संपत्तियों का सर्वे कराकर सभी संबंधित पक्षकारों को बुलाया और इन संपत्तियों का कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

जब यह 123 संपत्तियों का विवाद और उससे जुड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकारी नीति को विहिप जनता के बीच ले गई, तो जनता को भी लगा कि कहीं—न—कहीं हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक व धार्मिक संपत्तियों को भी तो वक्फ बोर्ड हड़प रहा है। इसके बाद देश भर में वक्फ के नाम पर हो रही अंधेरगर्दी और विधिक भू स्वामियों के अनवरत उत्पीड़न के समाचारों की बाढ़ सी आ गई। पीड़ित पक्षकार जागने लगे और उन्हें भी लगा कि शायद हमारी संपत्तियाँ भी वक्फ बोर्ड के अनधिकृत कब्जे से मुक्त हो जाएँ! किन्तु वक्फ अधिनियम में 2013 के संशोधन उनकी राह के रोड़े थे। बात चाहे तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गाँव के एक किसान जमीन की हो या बिहार के गोविंदपुर गाँव में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा पूरे एक गाँव पर दावे की हो, केरल के एर्नाकुलम जिले के लगभग 600 ईसाई परिवारों की अपनी पुश्तैनी जमीन की हो, या कर्नाटक के विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ भूमि के रूप में नामित किया जाना हो, या फिर हजारों सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की बात हो, देशभर में वक्फ बोर्ड एक ऐसा भस्मासुर बन चुका था, जो किसी भी संपत्ति पर हाथ रख देता था, वह उसी पल उसकी हो जाती थी। किन्तु, पीड़ित पक्षकार उसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकता था। पुलिस, शासन व प्रशासन सब निस्सहाय थे। 1995 तथा 2013 के वक्फ संशोधनों के माध्यम से उसे इतने असीमित अधिकार दे दिए गए थे, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भी नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की हजारों संपत्तियों को तो इसने पहले से ही घेरा हुआ है। और तो और, महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट, संसद भवन, इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे देश के अनेक आस्था विश्वास व गौरव के केंद्र, स्मारक व प्रमुख स्थानों को भी कट्टरपंथी उलेमा व मौलवी अपनी वक्फ संपत्ति बताने लगे थे। विहिप ने इन सबके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सरकारों को चेताया।

ऐसे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर यदि बोर्ड में दो महिलाओं, मुस्लिम वर्ग के बँचित समाज को, दो विशेषज्ञों को और क्षेत्र के जिलाधीश को शामिल कर दिया, तो क्यों बवाल होने लगा! यदि किसी भी पक्षकार को न्यायालय जाने की अनुमति दे दी गई, जो अभी तक पीड़ित पक्षकार को नहीं थी, तो क्या यह संवैधानिक नहीं! यदि बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा मुक्त कर उनका डिजिटल पंजीयन हो जाए, तो क्या अच्छा नहीं! यदि वार्षिक अंकेक्षण हो और संपत्तियों की आय के लाभार्थी गरीब मुसलमान भी हो जाएँ, तो क्या ठीक नहीं! वक्फ यदि सही मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, सही दस्तावेजों के आधार पर, सहमति से हो, तो उसमें क्या गलत है! वक्फ प्रबंधन यदि कब्जा रहित, पारदर्शी व समाज कल्याणकारी हो जाए, तो किसी को भला क्या संकट हो सकता है! फिर इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व, जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक 9 माह से अधिक देशव्यापी गंभीर बहस हुई, जिसमें करोड़ों सामान्य देशवासियों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व विधिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों व प्रतिनिधियों को संयुक्त संसदीय समिति ने प्रत्यक्ष, परोक्ष व डिजिटल रूप से न सिर्फ सुना, अपितु व्यक्तिगत भेंट कर, उनसे सुझाव लिए, जो कि शायद भारत के संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम है।

अब आशा की जानी चाहिए कि ये संशोधन देश के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होंगे और इस बारे में झूठ फैलाकर देश में अशान्ति व अस्थिरता का वातावरण निर्माण करने वालों पर अंकुश लगेगा। वैसे इस बारे में माननीय गृह मंत्री के उस वक्तव्य को बार—बार सुनना चाहिए कि "वक्फ़ कानून को मानोगे कैसे नहीं, कानून भारत सरकार का है, इसे मानना ही पड़ेगा।"

कल्याण आश्रम और विहिप की पहल पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

- श्री अतुल जोग ने मेरे पास उदयपुर क्षेत्र में बने मुस्लिम मदरसे, मस्जिद आदि की एक सूची भेजी थी। सूची बहुत बड़ी थी। अधिकांश स्थान जनजातीय क्षेत्रों में थे। इसका निदान करने की आवश्यकता है।
- भारतीय संविधान की पाँचवी अनुसूचि में किसी राज्य के राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य मे किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित कर सकते हैं।
- इसी तरह से संविधान की छठी अनुसूचि में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासी क्षेत्र घोषित करते हैं।
- इस क्षेत्र की भूमि जनजातीय लोगों के अलावा कोई और न खरीद सकता है और न उसपर कब्जा कर सकता है।
- विश्व हिन्दू परिषद और वनवासी कल्याण आश्रम ने संयुक्त संसदीय समिति को यह प्रार्थना की, कि इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वक्फ एक्ट में संशोधन करके यह कहा जाए कि इन क्षेत्रों कि भूमि वक्फ नहीं हो सकेगी। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष श्री जगदंबिका पाल से एक लंबी चर्चा हुई।
- संयुक्त संसदीय समिति ने हमारे प्रतिवेदन को स्वीकार करके इसकी अनुशंसा की। पर सरकार ने जो संशोधित प्रस्ताव दिया, उसमें यह संशोधन नहीं था।
- वनवासी कल्याण आश्रम ने अपने वनवासी सांसदों से संपर्क करके उनको यह विषय बताया और प्रार्थना की कि वह संसद में इसपर बोलें। आश्रम ने वरिष्ठ लोगों को भी इस काम के लिए प्रार्थना की।
- यह बहुत संतोष की बात है कि अंतिम समय में लाये गए एक संशोधन के द्वारा हमारी यह मांग अब वक्फ एक्ट का हिस्सा बन गयी है।

— आलोक कुमार, सीनियर ऐडवोकेट

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025

नये कानून का नाम होगा - 'उम्मीद'

(यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एमपॉवरमेंट, एफिशियंसी एंड डवलपमेंट) अधिनियम

मुरारी शरण शुक्ल
सह सम्पादक हिन्दू विश्व

संसद के बजट सत्र, 2025 के द्वितीय भाग में केंद्रीय अल्पसँख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। लगभग 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था। किरेन रिजिजू ने यह विधेयक बृहस्पतिवार को राज्यसभा के पटल पर भी रखा। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया। 128 सांसदों का समर्थन मिला, 95 का विरोध। राज्यसभा में बिल पर गुरुवार दोपहर 1 बजे से चर्चा जारी थी, जो लगभग 13 घंटे चली।

वक्फ परिषद की रचना

रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इसमें चार से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें तीन संसद सदस्य (सांसद) होंगे, 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त चार व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे, उनमें दो महिलाएँ होना जरूरी है। राज्य वक्फ़ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। इनमें तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा। एक अध्यक्ष होगा, एक सांसद, एक विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले दो सदस्य, बार काउंसिल का एक सदस्य, राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। मुस्लिम समुदाय के चार सदस्यों में से दो महिलाएँ होंगी।

संसद की भूमि पर वक्फ का दावा

रिजिजू ने कहा कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने कहा कि कल्पना करिए कि यदि नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो देश की क्या स्थिति होती?

काँग्रेस ने वक्फ को सौंपा 123 सम्पत्ति

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "2014 के आम चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले, 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों को गैर–अधिसूचित कर दिया और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। ये संपत्तियाँ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की थीं।"

ताजमहल पर भी दावा किया वक्फ ने

सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। ताजमहल पर भी वक्फ ने दावा किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि शाहजहाँ के समय का फरमान लेकर आइए, जिसमें ताजमहल को वक्फ किया गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जहाँ–जहाँ खुदा है, वहाँ–वहाँ भगवान है। बाकी आप सभी बुद्धिमान हैं।

ओवैसी ने बिल फाड़ दिया

चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा– इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गाँधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा– वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।

विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है

रिजिजू ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सुन्नी, पसमांदा जैसे हजारों लोग मेरे पास आए और बिल को पारित करने को कहा है। हम मुस्लिमों को नहीं डरा रहे बल्कि आप डरा रहे हैं। उन्हें मुख्यधारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कहा था कि CAA पारित होने

के बाद मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करे।

अधिकांश सुझाव माने गए

रिजिजू ने कहा कि मुझ पर दिन भर दबाव डाला गया था। मुझ पर आरोप लगाए। कल को विपक्ष ये न कह सके कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जब ये बिल ड्राफ्ट हुआ, तो उसमें सभी के सुझाव का ध्यान रखा गया। वक्फ बिल के ऑरिजनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें, तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते।

कलेक्टर से उपर का अफसर देखेगा वक्फ को

रिजिजू बोले– हर जिले में जो भी जमीनी विवाद होता है, उसे कलेक्टर देखता है। आपकी वक्फ में कलेक्टर को रखने पर आपत्ति थी, इसलिए हमने उससे ऊपर के अफसर को रखा है।

विधेयक के प्रावधान

रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकेगा और उनके उत्थान में मदद मिलेगी। अल्पसँख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है, तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों या जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज वक्फ से संबंधित मामलों में 31 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में अपील के अधिकार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे वक्फ न्यायाधिकरण में न्याय नहीं मिला है, तो वह दीवानी अदालतों में अपील कर सकता है।

मात्र दस साल में वक्फ बन गया बड़ा जमींदार

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "...आज की स्थिति में, 8.72 लाख वक्फ संपत्तियाँ हैं। 2006 में, अगर सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये संपत्तियाँ अब कितनी आय उत्पन्न कर रही होंगी?"

सभी फिरकों के सदस्य होंगे वक्फ में

रिजिजू ने कहा कि 2013 के संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। उन्होंने कहा कि नए विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि पाँच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही जमीन वक्फ कर सकता है। उन्होंने कहा कि नये विधेयक में इस्लाम के सभी फिरकों के सदस्यों को वक्फ बोर्ड में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा इस विधेयक को समावेशी बनाना है। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम 'उम्मीद'

(यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एमपॉवरमेंट, एफिशियंसी एंड डवलपमेंट) अधिनियम दिया गया है, जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रिजिजू के अनुसार कहा जाता है कि भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि रेलवे और रक्षा विभाग की जमीन तो जनता की, देश की संपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वक्फ से जुड़े मामले का समाधान निकल गया है, तो इस विधेयक के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे, किंतु यदि कोई मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता।

पारदर्शी जेपीसी के बाद सदन में आया विधेयक

रिजिजू ने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। रीजीजू ने कहा, ''किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करता और उसमें हस्तक्षेप नहीं करता।'' अल्पसँख्यक मामलों के मंत्री ने 2013 में इस कानून में संशोधन के लिए लाये गये विधेयक पर बनी जेपीसी और वर्तमान जेपीसी के कामकाज की तुलना करते हुए कहा कि उसकी तुलना में नयी समिति के सदस्यों की सँख्या, बैठकों की सँख्या, विचार विमर्श करने वाले राज्यों की सँख्या बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिये वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैलायी जा रही हैं, वे निराधार हैं।

परमार्थ आयुक्त प्रबंधन पर नजर रखेंगे

रिजिजू ने कहा कि विधेयक में जिस परमार्थ आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) की व्यवस्था की गयी है, उसका काम केवल इतना है कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाली जमीनों का प्रबंधन ठीक से हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक इकाई है और इसके मुतवल्ली की जिम्मेदारी धर्मनिरपेक्ष किस्म की है, धार्मिक किस्म की नहीं। उन्होंने कहा कि इन अदालतों के मुताबिक मुतवल्ली के ऊपर निगरानी रखने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं।

मंगलेश सोनी

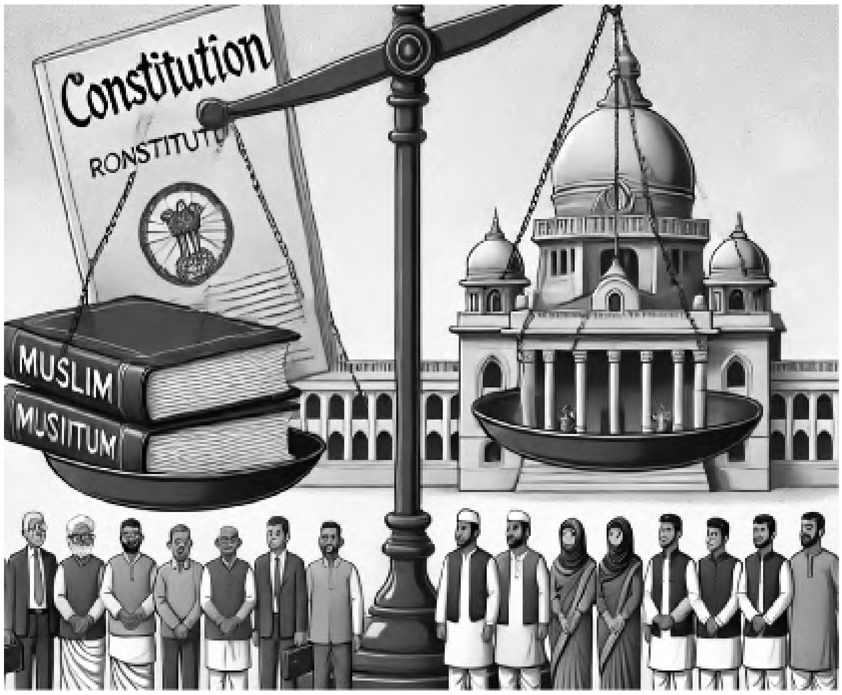

मुस्लिम आरक्षण अवैधानिक

कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, यह मामला अब संसद तक भी पहुँच चुका है, विभिन्न नेताओं ने इस विवादित निर्णय पर कठोर प्रतिक्रिया दी है, राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को संविधान विरोधी बताया है, निश्चित ही यह संविधान विरोधी निर्णय है, संविधान किसी भी प्रकार से मजहब आधारित कोई आरक्षण नहीं देता, न इसे स्वीकार ही किया गया है। तो वहीं विपक्ष इसके समर्थन में उतर आया है, काँग्रेस व उसके सहयोगी दल आरंभ से ही मुसलमानों के पैरोकार रहे हैं, ऐसे में देश में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है ? किस राज्य में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है ? इस मामले में संविधान क्या कहता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं...

1991 के लोकसभा चुनाव में काँग्रेस और जनता दल ने मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था, काँग्रेस का यह दांव असर कर रहा था, जबकि संविधान अनुरूप ऐसा कोई भी वादा करना संविधान सम्मत नहीं था, परन्तु वोट बैंक की राजनीती के चलते काँग्रेस इस वादे पर आगे बढ़ी। काँग्रेस सदैव से मुस्लिम तुष्टिकरण में उत्तम आना चाहती रही है, इसलिए जब भी वह सत्ता में नहीं होती है, मुसलमानों को आरक्षण का वादा करके सत्ता में आने का प्रयास करती है, और सत्ता मिलने पर प्रयत्नशील भी रहती है, मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड, वक्फ कानून, विशेषाधिकार ये सब काँग्रेस की ही देन है, जिन समस्याओं से आज देश जूझ रहा है।

संविधान में आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्था है?

यह पहली बार नहीं है, जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है, इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर हंगामा मच चुका है, हालांकि भारतीय संविधान समानता, सर्व धर्म समभाव की बात करता है, संविधान में धर्म–मजहब के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। संविधान के अनुसार, अगर कोई वर्ग पिछड़ा है, तो उसे मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, अभी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, वह ओबीसी के लिए तय आरक्षण के अंदर ही कोटा सिस्टम के जरिए मिलता है। मुसलमानों की जो जातियाँ एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल हैं, उन्हें कोटे के अंदर कोटा सिस्टम के जरिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है, संविधान की उद्देशिका और अनुच्छेद 15 एवं 16 में धर्म और पंथ आधारित भेद का निषेध है। मुस्लिम आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 का सर्वथा उल्लंघन है। अपने आपको संविधान रक्षक कहने वाली काँग्रेस भी इस संविधान विरोधी निर्णय में कर्नाटक की असंवैधानिक सरकार के साथ खड़ी है।

किस राज्य में मुसलमानों को कितना आरक्षण?

देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था केरल में है, यहाँ ओबीसी को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, इस कोटे के अंदर ही मुस्लिम कोटा भी निर्धारित है। यहाँ मुसलमानों को नौकरियों में 8 प्रतिशत और हायर एजुकेशन में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, इसी तरह तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, हालाँकि, यहाँ मुसलमानों की 95 प्रतिशत जातियाँ इस कोटे में शामिल हैं। बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया जाता है। वहाँ इस वर्ग में शामिल जातियों–उपजातियों को 18 प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलता है। इसी तरह तेलंगाना में ओबीसी श्रेणी में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन राज्यों के

अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, असम में भी मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है।

कर्नाटक में कितना मिलता है आरक्षण?

कर्नाटक में 32 प्रतिशत ओबीसी कोटा है, इसकी कैटेगरी 2A में मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, अब सरकारी ठेकों में भी मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया है, कर्नाटक में तो सभी मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है और अब ठेके में भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कर्नाटक में ओबीसी को 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, इसकी कैटेगरी 2ए में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है, इनके लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तेलंगाना में ओबीसी मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है, ऐसे ही उत्तरप्रदेश में मुसलमानों की 28 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है, केंद्र की ओबीसी सूची में वर्ग 1 और 2ए में मुसलमानों की ये जातियाँ शामिल की गई हैं। हालांकि, जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से ज्यादा है, उनको क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण नहीं मिलता, फिर भले ही वह परिवार पिछड़ा वर्ग में ही क्यों न आता हो।

साल 2010 में मुसलमानों की कुछ ही जातियों को चार प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, पर कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस आरक्षण से पहले राज्य में कोई सर्वे ही नहीं किया गया था, अब आंध्रप्रदेश में आरक्षण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को राज्यों और केंद्र की ओर से आरक्षण में वे सभी सहूलियतें मिलती हैं, जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग में शामिल दूसरी जातियों को मिलता है, इनमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर नौकरियों तक का फायदा शामिल है। यूं वोटों की लहलहाती फसल को काटने की दिशा में ज्यादातर राजनीतिक दल न केवल मुसलमानों, बल्कि, अपनी–अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को लाभ पहुँचाने का प्रयास करते देखे जाते हैं, यह क्रम अभी रुकने की कोई संभावना भी दूर–दूर तक नहीं दिखाई देती।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से विशेष साक्षात्कार में कहा, "संविधान के निर्माण के दौरान, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने धर्म–आधारित आरक्षण को खारिज किया था। कर्नाटक में इस तरह का आरक्षण लागू करना, उनके द्वारा बनाए गए संविधान का सीधा अपमान है।" उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, तो बाबासाहेब ने स्पष्ट रूप से धर्म–आधारित आरक्षण का विरोध किया था।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। मंगलवार (25 मार्च) को वरिष्ठ काँग्रेस नेता उदित राज ने शिवकुमार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सवर्ण 10 प्रतिशत आरक्षण लें, लेकिन मुसलमान चार प्रतिशत भी न लें? जबकि मुसलमानों की आबादी सवर्णों से अधिक है।

आशय स्पष्ट है कि मुस्लिम आरक्षण देकर मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण के हथियार से राजनितिक सत्ता पर स्थायी बने रहने के लोभ में सेकुलर सरकारों के असंवैधानिक हो जाने पर जनता का जागरण इस विषय पर आवश्यक है। मुस्लिम हित के लिए संविधान को दांव पर लगाने वाली ऐसी सरकारें क्या देश के लिए आगे की दूर दृष्टि रखती हैं, या, केवल 5 वर्ष की सत्ता के लिए संविधान के मूल ढांचे को तोड़–मरोड़ कर भी ये सत्ता सुख में रहने के उद्देश्य से ही कार्य कर रही हैं? जनता को अब जागृत होकर ऐसे असंवैधनिक निर्णय, असंवैधानिक कानूनों का विरोध करना होगा, जो भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, साथ ही ऐसे राजनीतिक दलों को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि जिस हेतु से ये राष्ट्रद्रोह के मार्ग पर जा रहे हैं, उस हेतु की समाप्ति ही इनके लिए उचित दंड होगा।

आंध्रप्रदेश में इस तरह से फंसा है पेंच

आंध्रप्रदेश में कई बार मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया गया, पर इसमें पेंच फंसा है। पहली बार साल 2004 में आंध्र में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता कर ओबीसी कोटे में इनके लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद आंध्रप्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में मान लिया, तो साल 2005 में फिर से सभी मुसलमानों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई।

17 जून, 2005 : राज्य कैबिनेट ने सिफ़ारिश के अनुसार फ़ैसला लिया, जिसे उस समय के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे ने अध्यादेश के रुप में जारी कर दिया। लेकिन कुछ छात्रों, उनके माता–पिता और कुछ संगठनों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

3 अगस्त, 2005 : पाँच न्यायधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा।

5 अक्तूबर, 2005 : राज्य विधान सभा ने मुस्लिम आरक्षण विधेयक पारित किया।

7 नवंबर 2005 : इस क़ानून को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

जनवरी, 2006 : राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया।

मई, 2007 : एक पूर्व आईएएस अधिकारी और पिछड़ा वर्ग के जानकार पीएस कृष्णन को सलाहकार नियुक्त किया गया।

जून, 2007 : पीएस कृष्णन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और मुसलमानों में 14 पिछड़ी बिरदारियों की पहचान की।

जुलाई, 2007 : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की। इसी अनुशंसा को राज्य सरकार ने लागू किया।

24 जुलाई, 2007 : राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति के साथ मुसलमानों की 15 बिरादरियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के क़ानून को पारित किया।

अक्तूबर, 2007 : अनेक लोगों के साथ–साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता मुरलीधर रेड्डी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

जनवरी, 2008 : मामले को सात न्यायधीशों की पीठ के पास भेजा गया।

फ़रवरी, 2010 : सात में से पाँच न्यायधीशों ने आरक्षण के इस क़ानून को असंवैधानिक क़रार दिया और इसे क़ायम नहीं रखा जाने वाला कहा।

महाराणा संग्राम सिंह एक अद्भुत व्यक्तित्व

शिबिर कुमार बोहरा

आरंभिक जीवन

ऐसा वर्णन है कि महाराणा सांगा के बाल्यकाल में किसी ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यही मेवाड़ के महाराणा होंगे, तब उनके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल से उन्हें जीवन का भय सताने लगा। उन्हें इस बात की आशंका हुई कि कहीं राजनीतिक षडयंत्रों के तहत उनकी हत्या ना हो जाए और इसी कारण सांगा ने मेवाड़ छोड़ दिया। वह अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ गुप्त रूप से सेवक के रूप में रहने लगे, विभिन्न घटनाक्रमों के पश्चात जब करमचंद पवार ने उन्हें पहचान लिया, तब तक पीछे उनके भाइयों पृथ्वीराज और जयमल का भी देहांत हो गया, तब करमचंद पंवार ने साँगा को महाराणा रायमल के समक्ष प्रस्तुत किया और महाराणा रायमल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाद में महाराणा रायमल की मृत्यु हो जाने पर ज्येष्ठ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1566 को महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा बने।

महाराणा बनने के पश्चात उन्होंने करमचंद पंवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उन्हें 15 लाख वार्षिक आय की जागीर व रावत की पदवी दी व अन्य योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान दिया और मेवाड़ में एक सुदृढ़ साम्राज्य को व्यवस्थित किया। उन्होंने राज्य की सीमाओं का पर्याप्त विस्तार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक थे। जब वह शासक बने, तब दिल्ली में सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शह बेगड़ा और मालवा में नासिर खिलजी शासन कर रहे थे। समय का चक्र चला 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह मेवाड़ के प्रति बड़ा वैर भाव रखता था, कारण सिकंदर लोदी के समय महाराणा सांगा ने दिल्ली राज्य का बहुत सा भूभाग अपने साम्राज्य में मिला लिया था, पर सिकंदर लोदी यथार्थ जानता था, वह महाराणा सांगा का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए वह उदासीन और शांत बना रहा।

इब्राहिम लोदी इसी बात को लेकर व्यथित था, उसने सुल्तान बनते ही एक बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ कर दी। यह समाचार सुनकर महाराणा सांगा भी आगे बढ़े और हाडोती की सीमा पर खतौली गाँव के पास बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। सुल्तान की सेना नष्ट होने लगी और हारकर भयभीत होकर भाग गयी। पर ऊसका एक शहजादा बंदी बना लिया गया, जिसे कुछ समय कैद में रखने के पश्चात दंड लेकर महाराणा ने उसे मुक्त कर दिया। उस युद्ध में महाराणा का एक हाथ कट गया था और पैर में एक बाण लगने से एक पैर लंगड़ा हो गया था।

कुछ समय पश्चात खतौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 में सुल्तान ने एक बड़ी सेना मियां माखन और मियां हुसैन आदि के नेतृत्व में भेजी, उसका सामना महाराणा ने आगे बढ़कर किया, अलवर के निकट बड़ा भीषण युद्ध हुआ। वीर राजपूतों ने सुल्तान की सेना को रौंद दिया। इस युद्ध में सुल्तान की सेना की बड़ी भारी पराजय हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा सांगा को मालवे का महत्वपूर्ण भूभाग विजय के रूप में प्राप्त हुआ, जिस पर कभी सिकंदर लोदी ने पूर्व काल में अधिकार किया था, वह अब मेवाड़ राज्य का भाग बन गया और महाराणा ने एक और बड़ी विजय प्राप्त की।

एक बार की बात है कि जब मांडू

के सुल्तान महमूद द्वितीय को उसके अमीरों ने हटा करके साहिब खान को मांडू की गद्दी पर बिठा दिया, तब सुल्तान महमूद ने मेदिनी राय नामक एक वीर और शक्तिशाली राजपूत सामंत की सहायता ली। मेदिनी राय की सेना ने साहब खान की सेना को परास्त कर दिया और अमीरों को निस्तेज करके मांडू के सिंहासन पर पुनः महमूद को बिठा दिया, तब महमूद ने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।

हिन्दू राजा को प्रधानमंत्री बना देने से अन्य अमीर व्यथित हुए और वह महमूद को पराजित करने के लिए बड़ा उपक्रम रचाने लगे, तब अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए महमूद गुजरात के सुल्तान के पास सहायता के लिए गया और मेदिनी राय महाराणा सांगा के पास सहयोग के लिए आए। महाराणा सांगा की सेना पहुँचती, उससे पहले ही सुल्तान की सहायता से महमूद ने पुनः मांडू पर अधिकार कर लिया और साँगा से सहयोग लेकर आने के कारण महमूद और मेदिनी राय में भी विभेद हो गया, तब महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को अपना सामन्त नियुक्त कर दिया और चंदेरी उनके अधिकार में दे दिया, चंदेरी का राजा घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम से महमूद कुपित हुआ और उसने गुजरात के सुल्तान से सहयोग ले मेवाड़ पर चढ़ाई की, तब महाराणा ने आगे आकर भीषण युद्ध किया, जिसमें महमूद द्वितीय व गुजरात के बहुत से सेनापति व सेना नष्ट हुई व घायल हुए महमूद को बन्दी बना लिया गया, जिसे चित्तौड़ में बन्दी बनाकर रखा गया, बहुत समय पश्चात महमूद को मुक्त कर पुनः मान्डु का तख्त प्रदान किया, ऐसी थी महाराणा की उदारता।

महाराणा सांगा का पराक्रम निरंतर बढ़ता जा रहा था, ऐसे ही घटनाक्रम में जब ईडर राज्य में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हुआ और संघर्ष आरंभ हुआ, तब पदच्युत कर दिए गए रायमल को महाराणा संग्राम सिंह जी ने शरण दी तथा अपनी पुत्री की सगाई उनके साथ कर दी और योग्य और युवा होने पर उन्हें ईडर का शासक बना दिया।

इससे उनके प्रतिद्वंदी भारमल अप्रसन्न हुए, उन्होंने गुजरात के सुल्तान की सहायता ली गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने निजामुल्मुल्क को भारमल की सहायता हेतु भेजा और भारमल ने जब पुनः ईडर पर अधिकार कर लिया, तब महाराणा सांगा ने गुजरात पर चढ़ाई आरंभ की। महाराणा के आगमन का समाचार सुनकर निजामुल मुल्क भाग गया व ईडर पर पुनः रायमल का अधिकार हो गया। भाग कर निजामुल मुल्क अहमदनगर के किले में जा छुपा था और वहाँ सुल्तान की सेना के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। ईडर पर रायमल का अधिकार करवा महाराणा ने अहमदनगर के किले को जा गिराया, द्वार टूट गया और राजपूतों ने भयंकर प्रहार किया ।

निजाम उल मुल्क किले के पिछले झरोखे से कूद कर भागा, महाराणा ने सारा राजकोष अपने अधीन कर लिया और राजपूतों ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर महाराणा वहाँ से गुजरात के अन्य क्षेत्र को जीतने आगे बढ़े। वडनगर में ब्राह्मणों के निवेदन पर वडनगर को अभयदान दे दिया। उसके बाद बीसलपुर की तरफ बढे, वहाँ के हाकीम हातिम खान को मार कर वहाँ का भी राजकोष आदि अपने अधीन किया और फिर महाराणा मेवाड़ को लौट आए। बहुत से क्षेत्र का अधिग्रहण करके मेवाड़ के अधीन राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। महाराणा का यश मध्याह्न के सूर्य की भांति चहूँ ओर फैल रहा था, उनकी प्रतिष्ठा बढी हुई थी, वह उस समय धरती के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट थे।

सात राजा, नव राव, 104 छोटे–बड़े सरदार और रावल उनके अधीन थे। 80,000 घोड़े वाली, एक लाख राजपूतों की सेना, 500 हाथी उनके पास में थे। 10 करोड़ की आय का क्षेत्र उनके अधीन था, पश्चिमी मालवा, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी ब्रज, हाडोती की सीमा तक का क्षेत्र उनके अधीन था और अन्य अधीनस्थ क्षेत्र बहुत बड़ा था। वह अपने समय के श्रेष्ठ शक्तिशाली सम्राट थे, ऐसे समय में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी जो महाराणा सांगा से दो–दो युद्ध में बड़ी–बड़ी हार का सामना कर चुका था, बहुत प्रकार से कमजोर पड़ चुका था, उसका पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी स्वतंत्र सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। उसका अपना चाचा आलम खान लोदी उसे हटाकर स्वयं दिल्ली के तख्त पर बैठने के स्वप्न संजोने लगा, ऐसे समय में उन्होंने बाबर जो फरगना छूटने पर काबुल में रहकर समय व्यतीत कर रहा था, वह यद्यपि अच्छा योद्धा था पर जीवन में उसे बहुत बार हार का सामना करना पड़ा था, उसकी अपनी जन्मभूमि छूट गई। समरकंद छूट गया, फरगना छूट गया। काबुल के क्षेत्र में रहकर वह धीरे–धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था ।

कुछ स्रोत कहते हैं कि दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, कुछ स्रोत दौलत खान के साथ आलम खां लोदी का भी उल्लेख करते हैं। अस्तु दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने के लिए अवश्य प्रेरित किया। उस के द्वारा ऐसा कार्य करने के दो कारण थे, एक कमजोर होती दिल्ली की सल्तनत और साथ ही महाराणा संग्राम सिंह द्वारा निरंतर किया जा रहा राज्य का विस्तार और शक्ति का विस्तार, जिससे यह भय सदा बना रहता था कि कब साँगा की दृष्टि पड़ जाए और उनका राज्य इतिहास की बात बन जाए। ऐसे समय में बाबर का भारत की धरती पर आगमन हुआ और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली और आगरा का स्वामी बन बैठा।

बाबर को निरंतर यह भय बना रहता था कि महाराणा सांगा कभी भी आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा हथिया सकते हैं, पर उसकी यह सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि वह उन्हें चुनोती दे। ऐसे समय में महाराणा संग्राम सिंह ने वह कार्य आरंभ कर दिया, जिसकी आशंका थी। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली, आगरा के क्षेत्र की तरफ विजय हेतु प्रस्थान कर दिया और इसी क्रम में महाराणा सांगा ने बयाना में प्रथम युद्ध जीत लिया और महाराणा आगे बढ़ते रहे, तब बाबर अपनी पूरी शक्ति लगाकर महाराणा का सामना करने के लिए खानवा के मैदान में आ डटा। खानवा युद्ध के समय बाबर की सेना पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी, वह युद्ध लड़ने से मना कर रही थी और काबुल लौट चलने के लिए कहने लगी।

बाबर के लिए वह घड़ी विकट थी।

महाराणा संग्राम सिंह के यश का प्रभाव ऐसा था कि कोई प्रत्यक्ष उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बाबर यह समझ रहा था कि यह धरती छूट गई, तो अब कहीं के नहीं रहेंगे, इस बात की भी संभावना नहीं थी कि यहाँ से बचकर काबुल के मार्ग पर महाराणा जाने देंगे, अथवा पीछा करके नष्ट कर देंगे। उसके सामने एक ही स्थिति थी करो या मरो, उसने अपनी सेना के समक्ष बड़े उत्साह उत्पन्न करने वाले शब्द कहे। दीन की बातें की और बाबर ने कहा कि आज के बाद हम शराब नहीं पियेंगे, हम यह युद्ध अपने लिए नहीं दीन के लिए लड़ रहे है, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद बाबर ने तमगा नामक एक कर जो मुसलमानों से लिया जाता था वह माफ कर दिया, शराब के बर्तन उड़ेल दिए गए और सोने–चांदी के पात्र और बर्तन फकीरों में, गरीबों में बांट दिए गए। एक नए उन्माद पूर्ण उत्साह का जन्म हुआ। सेना को तत्पर उत्साहित करके युद्ध के लिए तैयार किया। बाबर बहुत से युद्ध लड़ चुका था और किसी भी प्रकार की असावधानी अंतिम युद्ध में बदल देती, इसलिए बाबर ने बड़ी सूझबूझ, कुशलता से यह युद्ध लड़ा।

तुलुगामा पद्धति, जिसमें एक सैन्य प्रत्यक्ष लड़ता है और भिन्न दिशाओं से सेना जाकर शत्रु सेना को घेर कर उसके पीछे से और किनारों से वार करती है, वह पद्धति अपनाई। इसके अतिरिक्त बाबर के पास कुशल तोपें थीं, जिनका व्यवस्थित उपयोग किया और वह भीषण युद्ध आरंभ हुआ। एक तरफ तीर और तलवार थे राजपूतों के पास और उधर बाबर की सेना तोपों से सुसज्जित थी। तोप और तलवार की लड़ाई के परिणाम भला क्या हो सकते हैं? तथापि राजपूतों ने उत्साह में भरकर संघर्ष किया और तोपों पर तलवारों वाले राजपूत भारी पड़ने लगे। युद्ध का आरंभिक चरण तोपों के वार खाने के पश्चात भी राजपूतों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था।

महाराणा सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे, शत्रु को सहजता से लक्ष्य साधने का अवसर मिला और एक तीर महाराणा सांगा की आँख में लग गया, महाराणा के अंगरक्षकों ने उन्हें वहाँ से हटा दिया। बाण लगने से महाराणा बेहोश हो गए थे, इसलिए उनके अंगरक्षक उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लेकर चले गए। अपने नायक की, सेनापति की अनुपस्थिति में सेना हतोत्साहित हो जाया करती है, ऐसे में झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण कर हाथी पर सवार होकर सेना का उत्साह वर्धन किया और सेना युद्ध करने लगी। दोनों पक्षों की बड़ी भारी क्षति हुई, बाबर की भी सेना के पैर उखड़ रहे थे, उसकी भी भारी क्षती हुई, पर राजपूतों की भी बड़ी भीषण क्षति हुई। महाराणा संग्राम सिंह को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जा चुका था, इसलिए सेना भी कुछ हतबल थी और धीरे–धीरे राजपूतों का उत्साह मन्द पड़ता दिखाई दिया।

वह युद्ध बाबर के पक्ष में सुरक्षित रह गया। बाबर की विजय नहीं कहा जा सकता, पर बाबर निश्चित रूप से पराजय से बच चुका था। इस युद्ध के पश्चात बाबर अपनी सेना सहित लौट गया और उसने स्वयं को विजयी घोषित करते हुवे 'गाज़ी' की पदवी धारण की। राजपूतों की सेना भी लौट गई। महाराणा जो अपनी विजय यात्रा पर थे, उनकी यात्रा वहीं रुक गई। इस युद्ध के पश्चात बाबर की सेना की इतनी सामर्थ्य नहीं हुई कि आगे बढ़कर राजपूतों को लूट सके, मार सके, काट सके या उनकी भूमि पर अधिकार कर सके। महाराणा का राज्य विस्तार जहाँ तक था, वहीं तक रह गया और बाबर की सीमाएँ सुरक्षित रह गई। उधर महाराणा को जब होश आया, तो उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बहुत भला बुरा कहा, पर तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराणा ने बाबर को पराजित किए बिना चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया और रणथंभोर के दुर्ग में विश्राम और स्वास्थ्य लाभ हेतु सरदारों के दबाव में चले गए। महाराणा आगामी युद्ध की तैयारी करने लगे, बाबर भली–भांति समझ गया कि अब शिथिलता से काम नहीं होगा और महाराणा की अस्वस्थता का लाभ उठाकर उसने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया।

चंदेरी के राजा मेदिनी राय जो महाराणा सांगा के प्रिय सामंत थे, उनकी सहायता के लिए (और युद्ध की तो महाराणा वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे थे) युद्ध करने के लिए आगे बढ़कर चंदेरी की तरफ सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। महाराणा इस युद्ध में बाबर को सबक सिखा कर नष्ट कर देना चाहते थे, पर दुर्भाग्य वश महाराणा को किन्हीं गद्दारों ने विष दे दिया और इसके प्रभाव से हिंदूवा सूरज मेवाड़ रतन भगवान एकलिंग जी का दीवान महान सूर्यवंशी गहलोत महाराणा संग्राम सिंह अपने नश्वर शरीर का त्याग कर अपनी उज्ज्वल कीर्ती के साथ अमर हो गये। 30 जनवरी 1528 को वह अपनी नश्वर देह त्याग गये। जहाँ पर महाराणा का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। ऐसे महान योद्धा और श्रेष्ठ सम्राट, जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे और दुर्भाग्य से अपना अंतिम युद्ध जीत नहीं पाए, जिसके परिणाम व्यापक हुए। उस अंतिम युद्ध को जीत लिया होता, तो परिणाम कुछ और होते। यह कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन करता है।

कुछ जनों का मिथ्यारोप है कि बाबर को भारत आगमन हेतू महाराणा संग्राम सिंह ने आमंत्रण भेजा था, यह बात प्रथम दृष्टया ही मिथ्या प्रतीत होती है। इतिहास की विवेचना करने वालों को समग्र अध्ययन करना चाहिये।

(1) कि जिस सम्राट ने कभी कोई युद्ध न हारा हो।

(2) जिस सम्राट के पास 7 राजा, 9 राव व 104 सरदार अधीनस्थ सेवा व संरक्षण में हों। एक लाख की सेना हो।

(3) जिस सम्राट ने दो–दो बार जिस सुलतान इब्राहिम लोदी को स्वयं बुरी तरह हराया हो, क्या वह तीसरी बार उस सुल्तान को नहीं हरा सकता था?

तो समझा जा सकता है कि किसी बाहरी शक्ती की आवश्यकता किसे महसूस हुई होगी? उन्हीं को जिन्हें महाराणा साँगा से भय था। अतः यह स्पस्ट समझा जा सकता है कि बाबर को निश्चित रूप से दौलत खां ने ही बुलाया था।

विदेशों में हिन्दू मन्दिरों पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण

ललित गर्ग

खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़े कुछ अराजक तत्वों ने एक बार फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया है, हिन्दुओं वापिस भारत जाओ जैसे आपत्तिजनक संदेश लिखकर मंदिर को क्षति पहुँचायी गई है। हिन्दू मन्दिरों एवं आस्था पर बार–बार हो रहे ये हमले दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक हैं। आतंक फैलाने की मंशा से मंदिरों पर हमले की ऐसी घटनाओं का बार–बार होते रहना चिन्ता का सबब है। ऐसे पृथकतावादी तत्व हिंदुओं के खिलाफ विषवमन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं एवं दवाब बनाना चाहते हैं। भारतीय सांझा संस्कृति में मिल–जुलकर रहने वाले समाजों को विभाजित करके घृणा, नफरत एवं द्वेष उत्पन्न करने वाले तत्वों को न केवल बेनकाब करने की जरूरत है, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। बात केवल खालिस्तानी अलगाववादियों की नहीं है, मुस्लिम आतंकवादी भी विभिन्न देशों में हिन्दू धर्म, मन्दिर, आस्था एवं संस्कृति पर ऐसे ही हमले करके दहशत फैला रहे हैं। हिन्दू समुदाय नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वह कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों द्वारा ऐसे मामलों की अनदेखी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना विडम्बनापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाते हुए सख्त संदेश देना चाहिए।

अमेरिका के अलग–अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने को खालिस्तान समर्थकों से जोड़कर देखा जा रहा है। दक्षिण कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स इलाके में स्थित मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और मन्दिर को क्षति पहुँचाई गयी। माना जा रहा है कि खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले साजिश के तहत ये हमला किया गया है। कुछ दिन पहले न्यूयार्क में भी स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था। 25 सितंबर को कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो स्थित स्वामी नारायण मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, तोड़फोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक संदेश भी लिख दिए गए हैं। आपत्तिजनक यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा में सक्रिय ऐसे तत्वों को इन देशों की सरकारों द्वारा राजनीति के चलते खुला समर्थन देना एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रश्रय दिया जाना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, कब तक खामोश रहा जाए? कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर पर हुई घटना से पहले लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। जो खालिस्तान समर्थक विदेश मंत्री के काफिले तक कूद गया, वह सुनियोजित ढंग से हमला भी कर सकता था। निश्चित तौर पर यह ब्रिटिश पुलिस की कोताही एवं लापरवाही है। उस समय खालिस्तानी उग्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' का भी अपमान किया।

विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा के साथ पाकिस्तान, बाँग्लादेश की सरकारें ऐसे हमलों व मंदिरों को अपवित्र करने, उनको नुकसान पहुँचाने, अराजक माहौल खड़ा करने की घटनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रखकर आँखें मूंद लेती हैं या कुछ देश कट्टरतावाद के चलते उन देशों के अल्पसँख्यक समुदायों पर तरह–तरह के हमले होने देती है। यह विडम्बना ही है कि जब दूसरे देशों में उनके धर्म के लोगों के पूजा स्थलों पर हमले होते हैं, तो उसे धार्मिक आजादी व मानवाधिकारों का संकट बताने लगते हैं, फिर हिन्दू मन्दिरों एवं आस्था पर हो रहे ऐसे हमलों को लेकर दोहरी मानसिकता एवं दोहरा मापदण्ड क्यों? क्यों भेदभावपूर्ण मानसिकता है? निश्चित रूप से ऐसे ही रवैये से भारत के साथ इन देशों के संबंधों में खटास आती है। ऐसे ही अलगाववादियों के कुकृत्यों व कनाडा सरकार के अलगाववादियों को संरक्षण देने के चलते ही दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर में पहुँचे हैं। बाँग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हमलों के कारण ही दोनों देशों के संबंध बिगड़ चुके हैं। आतंक से जो जन्मती है, वह सँस्कृति नहीं होती है, उसमें पाशविकता होती है, उसमें जानवर विद्यमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति, संगठन एवं देश किसी के प्रिय नहीं हो सकते, वे मानवता को त्राण नहीं, संत्रास देते हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कुत्सित कोशिशों की तीव्र निंदा एवं भर्त्सना की है, सवाल यह उठता है कि जब ऐसी आजादी किसी सभ्य समाज के अहसासों से खिलवाड़ करे और दूसरों की धार्मिक आजादी का अतिक्रमण करने लगे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ? दरअसल ये घटनाक्रम इन देशों के दोगले मापदंड उजागर करते हैं। दूसरे देशों में सांप्रदायिक असहिष्णुता और कथित भेदभाव के आँकड़े जारी करके दबाव बनाने वाले तथाकथित सभ्य देश अपने क्रियाकलापों से बेनकाब हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में करीब एक दर्जन मंदिरों को अपवित्र करने की कुत्सित कोशिशें हुई, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ दिखावे के लिए भी कार्रवाई नहीं की गई। किसी हमले की जांच भी नहीं हुई, जबकि प्रत्येक संप्रदाय की धार्मिक आजादी की रक्षा करना अमेरिकी सरकार का नैतिक दायित्व है। अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी एवं मानवाधिकार का हिमायती मानता है। आखिर अमेरिका जैसे शक्ति–संपन्न राष्ट्र में मंदिरों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करायी जाती ? बीते साल भी कनाडा में हिंदू महासभा के मंदिर में हमला करके बच्चों व महिलाओं तक को पीटा गया था। लेकिन ट्रूडो सरकार खामोश रही; परन्तु जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत के अनुसार ट्रूडो सरकार बिखर गयी, धराशायी हो गयी। निश्चित रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों को अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा व गरिमा तय करनी होगी।

लगातार हो रहे इन हमलों के बाद भी हिन्दू समुदाय शांति और करुणा की ही बात करता आया है। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा? क्या अमेरिकी एवं ब्रिटेन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? हाल ही में ब्रिटिश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ऐसे अतिवादियों के उभार को ब्रिटिश कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया था। आतंक किसी एक देश नहीं, सम्पूर्ण मानवता के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों की अनदेखी की जा रही है। निश्चित तौर पर छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने से कालांतर में बड़ी हिंसक गतिविधियों को ही प्रश्रय मिलता है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस, कनाडा सहित कई देशों में लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहा है। 17 नवंबर 2024 को न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही अभियान चलाने की कोशिश की गई और भारत विरोधी नारे लगाते हुए खालिस्तान का झंडा लहराया गया; लेकिन न्यूजीलैंड के नागरिकों ने इसका विरोध किया और खालिस्तान समर्थकों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया।

भारत दुनियाँ की तीसरी बड़ी अर्थ–व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए आतंकी संगठन और दुश्मन देश आतंक का सहारा ले रहे हैं। सरकार की नीति, सशक्त सुरक्षा व्यवस्था, सरकार की सतर्कता के चलते ही आतंकवादी संगठन एवं आतंकवादी अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अधिक सावधान एवं सख्त होने की अपेक्षा है, अन्यथा भारत की सारी प्रगति को आतंकवाद खा जायेगा। क्योंकि लगातार असफलता से खीझे एवं बौखलाए हुए आतंकी कोई–न–कोई नई और अधिक खौफनाक आतंकी घटना को अंजाम देने में जुटे रहते हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्कता बरतने की अपेक्षा है। दुनियाँ के शक्ति संपन्न राष्ट्र भी मंथन करें आतंक रूपी विष और विषमता को समाप्त करने का, शांतिपूर्ण दुनियाँ निर्मित करने का।

अशोकनगर के मुंगावली में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित
बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी दौनेरिया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ

अशोकनगर, 24 मार्च, 2025। अशोकनगर जिले के मुंगावली प्रखंड में बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2,100 युवाओं ने त्रिशूल धारण किया। इस अवसर पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी दौनेरिया ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देश में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रांत संयोजक अवधेश तिवारी द्वारा त्रिशूल दीक्षा का संकल्प दिलवाया गया। प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सभी को एक होकर शक्ति के साथ खड़ा होना होगा।

deepakmishravhp@gmail.com

संजय सक्सेना, लखनऊ

घुसपैठियों के लिए आसान लांचिंग पैड
नेपाल बॉर्डर के मदरसे

पड़ोसी राज्य नेपाल, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। वैसे तो नेपाल के भारत से हमेशा प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की भी दखलंदाजी वहाँ बढ़ी है। चीन के कई प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं। भौगालिक रूप से देखा जाये, तो चीन और नेपाल की सीमा 1439 किलोमीटर लम्बी है। वहीं भारत और नेपाल की सीमा की लम्बाई 1751 किलोमीटर है। यह सीमाएँ उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से जुड़ी हुई हैं। सबसे लम्बी सीमा 726 किलोमीटर बिहार से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से 551 और उत्तराखंड से 275 किलोमीटर और पश्चिमी बँगाल से 100 एवं सिक्किम से 99 किलोमीटर तक जुड़ी हैं। कभी यह सीमाएँ लगभग पूरी तरह से खुली रहती थीं, लोग आसानी से बिना वीजा और पासपोर्ट के एक–दूसरे देशों में आ जा सकते थे। दोनों देशों के बीच व्यापार करने पर भी कोई प्रतिबंद्ध नहीं था, लेकिन अब हालात काफी बदल गये हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अब इन सीमाओं को लांघकर अराजक तत्व और आतंकवादी ताकतें भी भारत में प्रवेश करने लगी हैं। सीमा खुली होने का फायदा उठाकर पाकिस्तानी, बाँग्लादेशियों सहित कई देशों के घुसपैठिये और आतंकवादी भारत में आते हैं और यहाँ आतंक फैलाते हैं। यही कारण है कि नेपाल और भारत के बीच की सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ सालों में खासी चिंता देखी गई है। सबसे खास बात यह है कि इन घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिये भारत–नेपाल के बार्डर के बार्डर पर बने मदरसे सुरक्षित ठिकाना बन कर उभर रहे हैं। कई मदरसों के तार भारत विरोधी ताकतों के साथ जुडे हुए हैं।

नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों का बढ़ना और आतंकवादियों का घुसपैठ करने का प्रयास स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। खासकर, 28 फरवरी को काठमांडू में हुई हिंसा ने इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। यह हिंसा सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारत में भी सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना जा रहा है। नेपाल सीमा के पास रहने वाले एक पूर्व शिक्षक का कहना है कि हाल के दिनों में सरहदी क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों का बढ़ना चिंताजनक है। उनका मानना है कि पाकिस्ताान और चीन द्वारा नेपाल सीमा को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड बनाने की साजिश चल रही है। उनका यह भी कहना है कि कुछ मजहबी शिक्षण संस्थानों में भारत से भागने वाले कुख्यात अपराधियों से लेकर भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को भी शरण मिल रही है। बीते फरवरी महीने में सीमा से बाँग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया था, जिसे नेपाली मदरसे में शरण मिली थी। यह घटना यह साबित करती है कि नेपाल में कुछ जगहें आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुके हैं। नेपाली सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बाँग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन जमात–उल–मुजाहिदीन के आतंकवादी को नेपाल के सीमा क्षेत्र में पनाह दी गई थी। इसी तरह, अलकायदा इन इंडियन सब कांटिनेंट (एक्यूआईएस) जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी नेपाल के बदलते हालात का फायदा उठा सकते हैं। इन संगठनों का लक्ष्य भारत में घुसपैठ कर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो सकता है। इस संदर्भ में पूर्व आईबी अधिकारी प्रवीण गर्ग का कहना है कि काठमांडू में जो हिंसा हुई, वह नेपाल में राजाबादी आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है। उनके अनुसार, बाँग्लादेश को अस्थिर करने के बाद, पाकिस्तान और चीन की सुरक्षा एजेंसियाँ नेपाल को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की नेपाल में सक्रियता इस संभावना को और मजबूत करती है।

खासकर इस साल की शुरूआत से इन दोनों देश की एजेंसियों की भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता एक गंभीर चिंता का विषय है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो नेपाल कुछ वर्षो तक हिन्दू राष्ट्र होता था, वहाँ अब शरिया कानून की मांग भी उठने लगी है, जो कि पहले नेपाल के मुसलमानों के

लिए एक दूर का ख्वाब था। लेकिन अब इसे संसद में कुछ मुस्लिम सांसदों द्वारा उठाया गया है, जो इसे नेपाल के लिए एक नई राजनीतिक दिशा के रूप में देख रहे हैं। वैसे मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और शरिया कानून की वकालत के बीच हिन्दू संगठन भी एक बार फिर से नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की वकालत करने लगे हैं। हालांकि राजनीति के कई जानकार नेपाल में शरिया कानून की मांग को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा प्रायोजित किया हुआ कदम बता रहे है, जो नेपाल को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। नेपाली सीमा पर बढ़ रही इन आतंकी गतिविधियों की ओर इशारा करते हुए आँकड़े भी सामने आए हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत में आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास बढ़े हैं।

बात बार्डर पर चल रहे मदरसों की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्तता की कि जाये, तो इसके कई केस मिल जाते हैं। इसी वर्ष के शुरूआती महीनों में मटर–धमऊर क्षेत्र के पिलर सँख्या 501–6 के पास से एक बाँग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मदरसा मदीनतुल में शरण मिली थी। इसी तरह, 2024 में हिजबुल मुजाहिद्दीन के तीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, जो नेपाली सीमा के पास स्थित एक मदरसे में ठहरे हुए थे। 2020 में पापलुर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक ट्रेनिंग कमांडर राशिद को गिरफ्तार किया गया था, जो नेपाल सीमा से सटे मदरसे में सक्रिय था। इस तरह की घटनाएँ यह साबित करती हैं कि नेपाल सीमा पर आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ रही है, और सुरक्षा एजेंसियों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इसके लिए मदरसों के भी पेंच कसना जरूरी है।

गौरतलब हो, सुरक्षा एजेंसियों के पास भी नेपाल सीमा से जुड़ी एक लंबी सूची है, जिसमें विभिन्न आतंकवादियों की गिरफ्तारी का जिक्र है। 2015 में पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉ. जावेद को सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जो नेपाल में ठहरे हुए थे। 2013 में आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था, और इसी साल यासीन भटकल भी गिरफ्तार हुआ था। यही नहीं, 2010 में बढ़नी बॉर्डर से इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकवादी सलमान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया था, जो एक नेपाली मदरसे में पनाह लिए हुए था। यह घटनाएँ दर्शाती हैं कि नेपाल से घुसने वाले आतंकवादियों की सँख्या समय के साथ बढ़ी है और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी के चलते भारतीय सुरक्षा बलों ने नेपाल से सटी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है और इन क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नेपाल में इन आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नेपाल के अंदर भी कई मदरसे और धार्मिक सँस्थान आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। इन आतंकवादी समूहों के पास न सिर्फ भारतीय बल्कि नेपाली क्षेत्र में भी अपनी जड़ें फैलाने की क्षमता है, जो दोनों ही मुल्कों के लिये बड़े खतरे का संकेत है। समय रहते नेपाल सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाये, तो दिन पर दिन हालात और भी खराब होते जायेगे। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि नेपाल और भारत दोनों देश मिलकर सीमा पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करें और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल सीमा पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ के प्रयासों के बीच दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही नेपाल को अपने आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करना होगा, ताकि वह आतंकवादियों की गतिविधियों को अपनी सीमा से बाहर रख सके और भारतीय क्षेत्र में उनकी घुसपैठ को रोका जा सके। यह दोनों देशों की सुरक्षा और शांति के लिए आवश्यक है।

निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन

करूर। विश्व हिंदू परिषद थोगैमलाई प्रखंडम, आरटी मलाई समिति करूर जिला, तिरुपुर विभाग द्वारा 29 मार्च, 2025 को प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लाभार्थियों की सँख्या, पुरुष – 100 तथा महिला – 70 उपस्थित रहीं। श्री देवसेनापति जी, तिरुपुर विभाग संगठन–सचिव, श्री मणिकंदन जी–करूर जिला संयुक्त सचिव और थोंगैमलाई प्रखण्ड टीम के सदस्यों ने भाग लिया।

dheeran.vijay@gmail.com

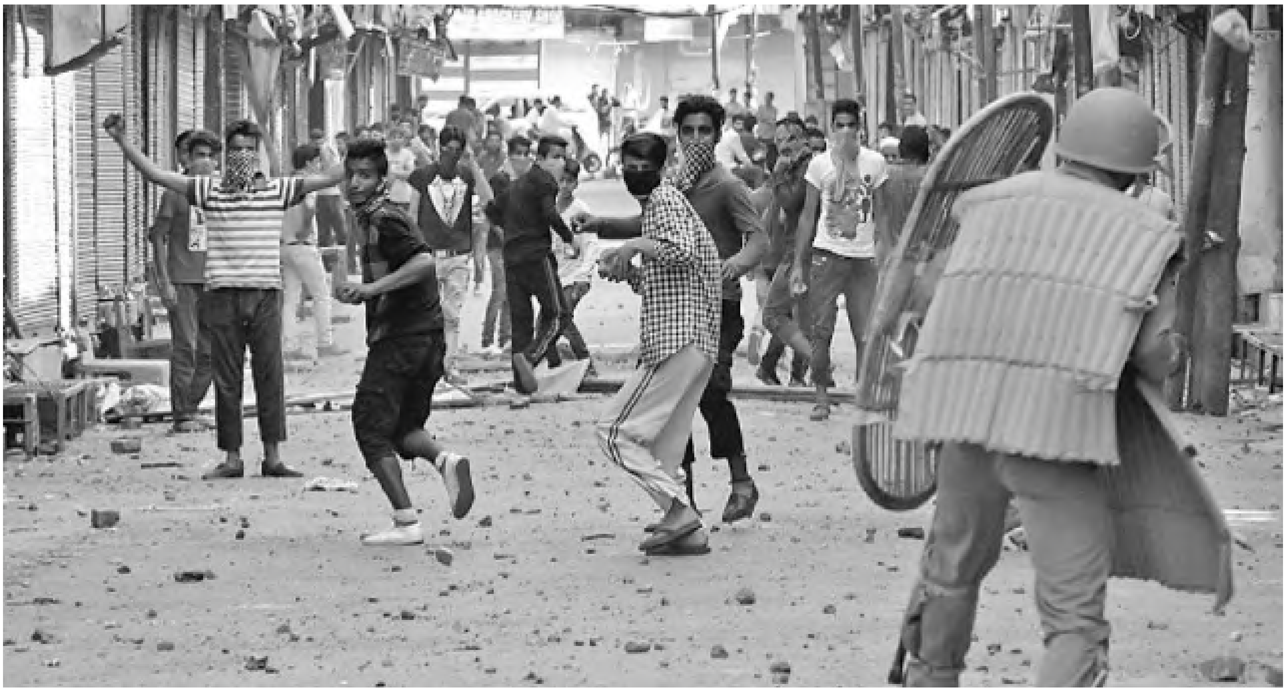

दिव्य अग्रवाल

जिहादी बेखौफ होकर हिन्दू क्षेत्रों में उपद्रव कैसे कर पाते हैं ?

आज सबको पता है कि हिन्दू समाज को केवल धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन प्रश्न यह है कि जिहादी, हिन्दू बाहुल्य क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ बैखोफ होकर कैसे उपद्रव मचा लेते हैं ? जिहादी मात्र कुछ डंडे, पत्थर, पेट्रोल और माचिस लेकर ही समूचे हिन्दू क्षेत्र को अस्त–व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि जब वो भीड़ में आकर डंडों से हमारी गाड़ियाँ तोड़ते हैं, तो हम शांत रहते हैं कि इंश्योरेंस से तो नुकसान की भरपाई हो ही जायेगी, इसलिए चुप रहो। घर पर जब पत्थर फेंके जाते हैं, तो परिवार का मुखिया कहता है कि खिड़की–दरवाजे बंद कर लो और बच्चों को अंदर वाले कमरे में ले जाओ और बच्चे अंदर भगवान् से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर! इस बार बचा लें, तो यहाँ से मकान आदि बेचकर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, पर इतने में ही जिहादियों की भीड़ दरवाजे तोड़ने लगती है। पेट्रोल दरवाजों के नीचे से डालकर घर के अंदर तक पहुँचा दिया जाता है और जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है, हमें घर के दरवाजे खोलने पड़ते हैं और जिहादी समाज अंदर

आज भले ही नागपुर के हिन्दू समाज यह कहते रहें कि यहाँ तो भाईचारा है, कुछ नहीं होने वाला, तो इस भाईचारे का परिणाम सबने देखा है और इसी भाईचारे से त्रस्त होकर पूज्य हेडगेवार बाबू जी ने संघ की स्थापना की थी।

घुसकर न बच्चियों को छोड़ते हैं, न बुजुर्गो को। बस यही बात समझने की है कि जिस समय यह जिहादी भीड़ हमारे गली–मोहल्लों में उपद्रव करने आती है, यदि उसी समय सनातनी समाज अपने शास्त्रों और पूर्वजों का अनुसरण करके आत्मरक्षा करने हेतु शस्त्र धारण करे, प्रतिकार करे, तो यह भीड़ आपके दरवाजे तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि भीड़ अभी पड़ोसी के घर तक है, क्या पता पुलिस आकर बचा ले, लेकिन सोचिए! पुलिस भी तो आपकी और हमारी तरह ही है। जिहादियों को पता है कि हिन्दुओं के घरों में घंटे, माला आदि सब मिलेंगे, लेकिन 200 रुपये की मजबूत लाठी तक नहीं होगी, तो बाकी सुरक्षा संसाधनों की तो क्या ही व्यवस्था होगी? सभ्य सनातनी समाज यदि शस्त्र युक्त होगा, तो न सिर्फ अपनी बल्कि प्रशासन की भी मदद हो सकेगी।

घर की महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चियों को नहीं छोड़ा, इस दुर्गति या दुर्दशा पर प्रलाप करने से उत्तम है कि अपने परिवार की सुरक्षा हेतु हरसम्भव प्रबंध हो। आज भले ही नागपुर के हिन्दू समाज यह कहते रहें कि यहाँ तो भाईचारा है, कुछ नहीं होने वाला, तो इस भाईचारे का परिणाम सबने देखा है और इसी भाईचारे से त्रस्त होकर पूज्य हेडगेवार बाबू जी ने संघ की स्थापना की थी। आत्ममंथन और अवलोकन सबको करना होगा, खोखले भाईचारे का गुणगान हिन्दू समाज के लिए विनाश का मार्ग ही प्रशस्त करेगा। अतः सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।

divyelekh@gmail.com

मा. धर्मनारायण शर्मा जी की श्रद्धांजली सभा

(१ जून १९४० - २१ मार्च २०२५)

संघ के वरिष्ठ प्रचारक मा. धर्मनारायण शर्मा जी का विगत 21 मार्च 2025 को संध्या 8:40 बजे रामकृष्णपुरम, संभाग 6, नई दिल्ली स्थित विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय कार्यालय में देहावसान हो गया था। 22 मार्च को दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निगमबोध घाट स्थित श्मशान में उनके मृतक शरीर की अंत्येष्टि सम्पन्न हुई थी। विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय कार्यालय (रामकृष्णपुरम, सम्भाग 6, नई दिल्ली–22) में 1 अप्रैल 2025 को संध्या 5:30 बजे श्रद्धांजली सभा आरम्भ हुई। भूतल पर स्थित मुख्य सभागार में आयोजित इस सभा में विहिप के **केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख श्री मनोज वर्मा जी (केन्द्रीय सह मंत्री)** ने मंच संचालन किया। मा. धर्मनारायण जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कर के सभी प्रमुख अधिकारी मंचासीन हुए। कार्यक्रम के आरम्भ में बोलते हुए **मा. कोटेश्वर शर्मा जी (संयुक्त महामंत्री– विहिप)** ने कहा कि आषाढ़ प्रतिपदा 1940 को धर्मनारायण जी का जन्म हुआ, 1955 में वे स्वयंसेवक बने, मुख्यशिक्षक का दायित्व सम्भाला, उन्होंने विभिन्न दायित्वों पर कार्य किया।

विगत वर्ष उनका हार्ट का वाल्व खराब हुआ, डाक्टर ने ऑपरेशन से मना किया। पुष्पावति सिंहानियां हॉस्पिटल में डॉ दीपक शुक्ल के मार्गदर्शन में उपचार चलता था। श्री मनोज जी लगातार चिंता करते थे, राकेश जी और बालमुकुंद जी देखभाल करते थे। 21 मार्च को 8:40 बजे रात्री में शरीर शांत हुआ। 22 को शरीर की अंत्येष्टी हुई।

तीन संवेदना संदेश प्राप्त हुए–

मा. मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार)–मा. धर्मनारायण जी की मृत्यु हिन्दू समाज की अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। संघ के द्वारा दिये गए दायित्वों को उन्होंने सत्यनिष्ठा से निभाया। उनके द्वारा किये गये कार्य समाज में सदैव स्मरणीय रहेंगे।

श्री विनोद तावड़े (राष्ट्रीय महामंत्री–भाजपा)–मा. धर्मनारायण जी ने समाज और संगठन के उत्थान में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनकी दूरदर्शिता, संगठनात्मक क्षमता और राष्ट्र व धर्म के प्रति उनकी निष्ठा सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी अमूल्य सेवाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान किया।

माँ भारती सेवा न्यास–हमारे मार्गदर्शक, लेकिन प्रेरणास्रोत, राष्ट्र, समाज एवं हिन्दू धर्म के प्रचार–प्रसार में सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री धर्मनारायण शर्मा जी का देह शांत होने के समाचार से हम सब बहुत व्यथित हैं।

मा. कोटेश्वर जी द्वारा उपरोक्त तीनों शोक संदेश पढ़ने के उपरांत सभा के संचालक श्री मनोज जी वर्मा द्वारा सभा में उपस्थित वरिष्ठ महानुभावों को अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

मा. स्वामी श्री विज्ञानानंद जी (संयुक्त महामंत्री–विश्व समन्वय) –अंचल प्रमुख होने के समय से सम्बन्ध। एकल विद्यालय का भी दायित्व सम्हाला। प्रखर वक्ता थे। अच्छे वक्ता थे। महाभारत उनसे लेकर मैंने हिन्दू मेनीफेस्टो लिखना शुरू किया। मैंने पुस्तक में मार्किंग की थी, उसे ही देखकर वो समझ गए कि क्या लिखा जाने वाला है। वो मार्किग देखने के बाद लगातार पूछते रहते थे कि कब पुस्तक तैयार कर रहे हो? दंड और नियुद्ध के अच्छे शिक्षक थे। अंत में वो शरीर छोड़कर जाने के लिए तैयार थे। वो कहते थे कि यह शरीर पुराना हो गया है। वो फिर जन्म लेकर आयेंगे, अपना अधुरा कार्य पुरा करने के लिए।

मा. अजेय पारीख जी (केन्द्रीय मंत्री– केन्द्रीय सेवा प्रमुख)– 1980 में कॉलेज विद्यार्थियों के वर्ग में उनको देखा था। शारीरिक विभाग के मार्गदर्शक थे। बाद में मिलते रहे। शारीरिक के व्यक्ति थे, लेकिन वृति बौद्धिक वाली थी। जोधपुर में विभाग प्रचारक रहते हुए उनको अधिक जानने का अवसर मिला। उन्होंने आचार संहिता का लेखन किया। आनंद फिल्म में संवाद है कि जिंदगी लम्बी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। वैसे ही धर्मनारायण जी का जीवन बहुत बड़ा था।

श्री मनोहर दास गुजराती जी (धर्मप्रसार में दायित्व)–ओजस्वी भाषण। उनके वक्तव्य दिमाग में घुमते रहते थे। उनका लेखन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था। व्यावर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बहुत प्रवास किया, धनसंग्रह किया। दो महीने पहले ही व्यावर होकर आये थे।

श्री स्वदेश पाल जी (धर्मप्रसार समिति)–विगत सोलह वर्ष से सम्पर्क, मोहन जोशी की प्रेरणा से बैठकों में जाता रहा। धर्मनारायण जी धर्म प्रसार समिति के महामंत्री थे। घर वापसी वाले गाँवों में स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया। राजेश्वर जी और मोहन जोशी जी के नाम पर विद्यालय और रोजगार शिक्षण केन्द्र शुरू हुआ। व्यावर में वो जगह देखने गए। उसके निर्माण की चिंता हास्पिटल में भर्ती रहते हुए भी कर रहे थे। अब निर्माण लगभग पुरा हो चुका है। दस प्रतिशत निर्माण कार्य बचा हुआ है।

श्री जुगराजधर जी द्विवेदी, जबलपुर (भोपाल क्षेत्र समरसता प्रमुख)– 1984 में जब मा. धर्मनारायण जी महाकौशल प्रान्त के सह प्रांत प्रचारक हुए, तब मेरा उनसे परिचय हुआ। वो हर कार्यकर्ता की हर प्रकार की चिंता करते थे और कहते थे कि दनदनाते चले चलो। रज्जू भैया जी के सामने जोधपुर में प्रचारकों की बैठक में उन्होंने बड़ी तेजी से अपना परिचय दिया, तब मा. रज्जू भैया ने कहा कि लगता है, "राजस्थान बोल रहा है।" काम करने की इच्छा बहुत प्रबल थी, जो व्रत लिया वही कर्म में, व्यवहार में था। कार्यकर्ताओं के लिए हर आवश्यकता पर ध्यान देने वाले। कार्यकर्ताओं से कहते थे कि ऐसा बौद्धिक हमने कभी सुना नहीं।

श्रीरामकिशन गौड़ (धर्मप्रसार की केन्द्रीय टोली के पूर्व कार्यकर्ता) – मा. धर्मनारायण जी ने 20 पुस्तकें लिखी। जो बोलते थे, वही करते थे। कर्म और वाणी में समानता थी।

मा. विनायक राव देशपांडे (सह संगठन महामंत्री)–अत्यंत विद्वान–ज्येष्ठ कर्मठ प्रचारक। 2007 के बाद विहिप का हिन्दी वाला प्रस्ताव धर्मनारायण जी ही लिखते थे। 1994 में प्रचारक वर्ग में पहली बार उनसे मिलना हुआ था। भगवान हलधर बलराम जी पर उनका एक लेख देखा, तब उनके लेखक रूप से परिचय हुआ। वे स्वभाव से कठोर थे, लेकिन अंदर से अत्यंत मृदु और सनेहशील थे। एक बार अपनी यात्रा का रूट बदलकर उन्होंने मुझे कलकता मेट्रो दिखाया। कोई भी कठिनाई दूर करने के लिए पुरा प्रयत्न करते थे। रामफल जी और धर्मनारायण जी दोनों कठोर थे, एक ही कमरे में रहते थे और दोनों के बहुत मृदु सम्बन्ध थे। सैकड़ों–हजारों पुस्तकों का संग्रह था। कार्यकर्ताओं का पुरा ध्यान रखते थे। उनके अधुरे कार्यों को पुरा करने के लिए कदम बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

मा. दिनेश चन्द्र जी (सलाहकार मंडल सदस्य–विहिप)–प्रांत प्रचारक रहते हुए परिचय हुआ, लेकिन क्षेत्र प्रचारक होकर जब दिल्ली आया, तब निकटता हुई। विहिप में आने पर और निकटता हुई। जब मैं विहिप में आया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि पहले विहिप के कार्य, उद्देश्य, कार्यपद्धति को समझो। कैसे समझूँ, तो कहा कि पहले मेरे साथ बैठो। कई नाम बताया कि उनसे जाकर मिलो और संगठन को समझो। सामंजस्य कर के कैसे चलना, इसपर ध्यान दो। उनके प्रति मेरे मन में अग्रज वाला भाव था। उन्होंने चार दिनों से खाना–पीना छोड़ दिया था, कहा कि अब मुझे जाना है। मैं लौटकर आया और उनसे मिला, तो प्रवास का पुरा विवरण पुछा। निर्मल मन था। लेखन के धनी थे। पुज्य सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी ने कहा था आचार संहिता बनाने के लिए। मैंने धर्मनारायण जी को कहा, वर्तमान के समय को, आगे के भविष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने इसपर सात साल लगाये। बाद में यह पुस्तक काशी विद्वत परिषद के सामने भेजा गया, अब वह परिमार्जित होकर प्रकाशन की स्थिति में आ गया है। विगत कुछ महीनों से कहना शुरू कर दिया था कि शारीरिक कष्ट सहा नहीं जा रहा है, इसीलिए इच्छा है कि अब इस जर्जर शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण किया जाए। अशोक जी भी कहते थे कि ये गए और वो आये। सहज सरल निर्मल मन वाले थे धर्मनारायण जी, दिशा–प्रेरणा देने वाले थे, मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ें।

मा. बजरंग बागड़ा जी (केन्द्रीय महामंत्री–विहिप)–बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में बहुत कार्यकर्ताओं से सुना। प्रस्तावों की भाषा पर उनका बड़ा चिंतन रहता था। वो मेवाड़ की धरा से थे, इसीलिए ओज भरपुर था। शारीरिक के कार्यकर्ता थे, अध्ययनशीलता अंत समय तक बनाये रखा। भारतीय वांग्मय पर, पुराणों पर विशेष अधिकार था। महापुरुषों पर अनेक पुस्तकें लिखी, कार्यकर्ताओं के लिए पुस्तकें लिखी। उनके गुणों का कुछ भी हम अंगिकार कर सकें, तो सच्ची श्रद्धांजली होगी। साथी कार्यकर्ता के प्रति उनका व्यवहार सीखने योग्य है।

मा. आलोक जी (अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष)–पुरे समय विहिप के लिए काम करने वाले तीन प्रचारकों को हमने विदा किया। धर्मनारायण जी ने एकांतिक दृष्टि हिन्दू समाज के जागरण का रखते हुए काम किया। प्रचारक होने का प्रतिमान थे धर्मनारायण जी। प्रचारक होना देवालय में बत्ती जलने जैसा, अपने सुवास से परिवेश को सुवासित करते हैं। शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। किन्तु प्रचारक को मेले की इच्छा भी नहीं होती। अनाम होकर चले जाते हैं। नींव के पत्थर हैं, दिखना नहीं चाहते, शिखर नहीं होना चाहते। हमारा सौभाग्य है कि हमने उनके साथ काम किया है, उनसे सीखा है। शारीरिक रूप से निपुण, सिद्धस्थ लेखक, गहन आध्यात्मिकता थी, जब लगा कि यह शरीर काम का नहीं है, तब

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा–
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।

मैं फिर लौटकर आउंगा। पुनरपि जननम्, पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननी जठरे शयनम् शंकराचार्य जी ने कहा है। किसको मोक्ष की, स्वर्ग की इच्छा है? पुनर्जन्म की इच्छा है, पुनः जन्म इसी भूमि पर हो। परम वैभव अधुरा है, वह पुरा करने के लिए आना है, संकल्प को पूर्ण करने के लिए आना है। भारत परम गुरु होने की ओर बढ़ रहा है। जिनपर श्रद्धा वैसा बनने की चेष्टा, सद्गुणों को बढ़ाएँ, वैसा भारत बनायें, जैसी प्रार्थना में रोज हम बोलते हैं।

श्रद्धांजली सभा में मा. अतुल लिमये जी (सह सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित रहे। सभा के अंत में शांति मंत्र का पाठ किया गया। तत्पश्चात सभा में उपस्थित सभी ने पंक्तिबद्ध होकर पुष्पांजलि किया।

सामग्री संकलन व
संयोजन–मुरारी शरण शुक्ल।

वसन्त ऋतु में आहार-विहार

वसन्त–ऋतु (चैत्र–वैशाख) सब ऋतुओं से सुहानी होती है। इसमें सब जगह प्रकृति की सुन्दरता दिखाई देती है। रंग–बिरंगे फूलों की सुन्दरता और सुगन्ध से ऐसा लगता है, मानो प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में है। यह ऋतु शीतकाल और ग्रीष्म–काल का सन्धि समय होता है। मौसम समशीतोष्ण होता है, अर्थात् न तो कँपकँपाती सर्दी होती है और न ही कड़ाके की धूप या गर्मी ही। मौसम मिला–जुला होता है, दिन में गर्मी और रात में सर्दी होती है।

वसन्त ऋतु में प्राकृतिक भाव

प्रबल रस – कषाय
प्रबल महाभूत – पृथ्वी, वायु
दोष अवस्था – कफ दोष का प्रकोप
जठराग्नि की क्रियाशीलता– मन्द अथवा अल्प बल, मध्यम बल
शोधन कर्म– कफ दोष शमन हेतु वमन एवं नस्य

शरीर पर प्रभाव

इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती हैं। शीत–काल (हेमन्त और शिशिर ऋतुओं) में शरीर के अन्दर जो कफ जमा हो जाता है, वह इन किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है। इससे शरीर में कफ दोष कुपित हो जाता है और कफ से होने वाले रोग (जैसे– खाँसी, जुकाम, नजला, दमा, गले की खराश, टॉन्सिल्स, पाचन–शक्ति की कमी, जी–मिचलाना आदि) उत्पन्न हो जाते हैं। वातावरण में सूर्य का बल बढ़ने और चंद्रमा की शीतलता कम होने से जलीय अंश और चिकनाई कम होने लगती है। इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और दुर्बलता आने लगती है। अतः इस ऋतु में खान–पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अम्ल, मधुर और लवण रस वाले पदार्थ खाने से कफ में वृद्धि होती है।

पथ्य आहार–विहार

इस ऋतु में ताजा हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु रस युक्त, तीक्ष्ण और कषाय पदार्थों का सेवन लाभकारी है। मूँग, चना और जौ की रोटी, पुराना गेहूँ और चावल, जौ, चना, राई, भींगा व अंकुरित चना, मक्खन लगी रोटी, हरी शाक–सब्जी एवं उनका सूप, सरसों का तेल, सब्जियों में– करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जिमीकन्द व कच्ची मूली, नीम की नई कोपलें, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आँवला, धान की खील, खस का जल, नींबू, मौसमी फल तथा शहद का प्रयोग बहुत लाभकारी है। जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अदरक डाल कर तथा शहद मिलाकर जल तथा वर्षा का जल पीना चाहिए। कफ को कम करने के लिए वमन (गुनगुना जल पीकर गले में अंगुली डालकर उल्टी करना), हरड़ के चूर्ण का शहद के साथ मिला कर सेवन करना उपयोगी है।

नियमित रूप से हल्का व्यायाम अथवा योगासन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले वमण करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तैल मालिश करके तथा उबटन लगा कर गुनगुने पानी से (आदत होने पर ठण्डे ताजे पानी से) स्नान करना हितकारी है। औषधियों से तैयार धूम्रपान तथा आँखों में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करते समय मलविसर्जक अंगों की सफाई ठीक प्रकार से करनी चाहिए। सिर पर टोपी व छाते का प्रयोग करने से धूप से बचा जा सकता है। स्नान के बाद शरीर पर कपूर, चन्दन, अगरु (अगर), कुंकुम आदि सुगन्धित पदार्थों का लेप लाभकारी होता है।

अपथ्य आहार–विहार

वसन्त–ऋतु में भारी, चिकनाई युक्त, खट्टे (इमली, अमचूर) व मीठे (गुड़, शक्कर) एवं शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नया अनाज, उड़द, रबड़ी, मलाई जैसे भारी भोज्य पदार्थ व खजूर का सेवन भी ठीक नहीं है। खुले आसमान में, नीचे ओस में सोना, ठण्ड में रहना, धूप में घूमना तथा दिन में सोना भी हानिकारक है।

रोटोरुआ मराठी मंडल ने पहली बार गुड़ी पड़वा समारोह का आयोजन किया

हिंदू हेरिटेज सेंटर ने एक जीवंत और साँस्कृतिक रूप से समृद्ध गुड़ी पड़वा उत्सव की मेजबानी की, पारंपरिक महाराष्ट्रीयन नव वर्ष के प्रतीक का आयोजन रोटोरुआ मराठी मंडल ने किया। मुफ्त और समावेशी कार्यक्रम ने समृद्ध विरासत, आध्यात्मिक महत्व और गहरी जड़ें प्रदर्शित कीं। इस कार्यक्रम की शोभा रोटोरुआ बहुसांस्कृतिक परिषद के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति डॉ. मार्गरीट थेरॉन ने बढ़ाई। गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्रीयन नव वर्ष, हिंदू चंद्र माह के पहले दिन पड़ता है चैत्र, वसंत और फसल के मौसम के आगमन की घोषणा करता है। 'गुड़ी' शब्द का तात्पर्य है सजाया हुआ झंडा या बैनर, विजय और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि 'पड़वा' पहले का प्रतीक है। चंद्र पखवाड़े का प्रथम दिन। यह नवीनीकरण, कृतज्ञता और सामुदायिक जुड़ाव का समय है, प्रार्थनाओं, उत्सव के व्यंजनों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को नई शुरुआत के लिए शुभ समय माना जाता है। प्रमुख परंपराओं में शामिल हैं :–

- ❖ **घर की सफाई और सजावट** – घरों को आम के पत्तों और रंगों से सजाया जाता है। सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए रंगोली पैटर्न।
- ❖ **पंचांग श्रवणम्** – हिंदू पंचांग (पंचांग) को पढ़ने से अंतर्दृष्टि मिलती है।
- ❖ **गुड़ी फहराना** – घरों के बाहर गुड़ी फहराई जाती है, जो जीत और सफलता का प्रतीक है।
- ❖ **उत्सव के व्यंजन** – परिवार पूरन जैसे पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन तैयार करते हैं पोली, श्रीखंड और पूरी भाजी।
- ❖ **प्रार्थनाएँ और मंदिर के दौरे** – भक्त एक समृद्ध वर्ष के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू हेरिटेज सेंटर में गुड़ी पड़वा उत्सव परंपरा के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि थी। विभिन्न आकर्षक गतिविधियों के साथ उत्सव को जीवंत बनाना। इस कार्यक्रम में पारंपरिक प्रदर्शन किया गया।

पूजा और प्रार्थनाएँ, जहाँ उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य और खुशी के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगा। मेहमानों ने प्रामाणिक महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का आनंद लिया, घर के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा–हर्षद, पुनर्वसु और नीलेश द्वारा प्यार से पकाया गया भोजन। सबसे महत्वपूर्ण बात उत्सव ने सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया, परिवारों और दोस्तों को गर्मजोशी और खुशी के साथ एकजुट किया। ऐसा माहौल जिसने साँस्कृतिक प्रशंसा और एकजुटता को मजबूत किया।

"हमें गुड़ी पड़वा मनाने, पालन–पोषण करने के लिए विविध समुदायों को एक साथ लाने में खुशी हुई। एकता और साँस्कृतिक प्रशंसा, "प्रथम गुड़ी पड़वा के समन्वयक ईश्वरी वैद्य ने कहा। "इस आयोजन ने न केवल त्योहार के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। बल्कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों को महाराष्ट्र का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान किया।" हम उन सभी लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने इसमें भाग लिया, समर्थन किया और इसे बनाने में मदद की। इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण भागीदारी और हार्दिक सराहना मिली। उपस्थित लोगों ने साझा किया, उनके अनुभव –

नेहा सेवलकर – "यह हमारे और हमारे बच्चों के लिए हमसे जुड़ने का एक अद्भुत अवसर था। घर से दूर रहते हुए भी परंपराएँ और विरासत। बच्चों ने विशेष रूप से आनंद उठाया। पारंपरिक भोजन, जिसने समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया। हमें आगे देखने के लिए इस तरह की और भी कई सभाएँ होंगी !"

रेवती करंदीकर – "इस अद्भुत आयोजन के लिए रोटोरुआ मराठी समुदाय को धन्यवाद। हमारे हिंदू मराठी नव वर्ष का उत्सव। गुड़ी पूजन सुंदर और प्रामाणिक था। मराठी भोजन एक दुर्लभ आनंद था। बच्चों को सँस्कृत श्लोक सीखते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। उनकी जड़ों को गले लगाते हुए। युवाओं को हमारी विरासत सौंपने के लिए ईश्वरी ताई को विशेष धन्यवाद।"

अलंकार वैद्य – "सजावट से लेकर गुड़ी फहराने और पारंपरिक पोशाक तक, आज सचमुच ऐसा लगा, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा हो। यहाँ तक कि स्थानीय कीवी भी हमारी प्रामाणिकता की सराहना करते हैं। मराठी खाना, मराठी सँस्कृति का प्रदर्शन, जो लोग इस उत्सव से चूक गए, उन्हें अगली बार और भी भव्यता के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ना चाहिए!"

वरदा कोर्डे – 'यह एक अद्भुत सभा थी। समुदाय में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। भारत में अपने परिवार को खोने की भावना को कम करता है। मैंने इस कार्यक्रम और लुक का भरपूर आनंद लिया। भविष्य में योगदान देने के लिए तत्पर हूँ।"

हर्षद करंदीकर – "मराठी समुदाय के साथ नए साल का पहला दिन मना रहा हूँ। न्यूजीलैंड को ऐसा महसूस हुआ, जैसे मैं अपने घर महाराष्ट्र वापस आ गया हूँ।

रोटोरुआ मराठी मंडल भविष्य के समारोहों को और भी बड़ा बनाने के लिए तत्पर है। अधिक समावेशी, यह सुनिश्चित करते हुए कि महाराष्ट्रीयन सँस्कृति की सुंदरता न्यूजीलैण्ड में पनपती रहे।

hindu.nz@gmail.com

अण्डमान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौमांस से भरी गाड़ी पकड़ी

अण्डमान, 27 मार्च। विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार की बहुत बड़ी कार्रवाई के तहत गाय के मांस से भरी हुई गाड़ी पकड़ी और पुलिस के हवाले की।

तीन–चार दिन से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार की घटनाएँ चल रही हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी सावधानी से इन तीन–चार दिनों में सारी रात जाग रहे थे। आज रात को कार्यकर्ताओं ने गाय के मांस से भरी हुई पूरी गाड़ी को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार के कार्यकर्ता गाय को बचाने के लिए रात और दिन प्रयासरत हैं।

जनसँख्या असंतुलन को रोकने के लिए हिन्दू समाज को कम से कम तीन संतान के लिए प्रेरित होना होगा : नीरज दौनेरिया

भोपाल, 24 मार्च, 2025। विश्व हिन्दू परिषद भोपाल विभाग की विभाग बैठक आज तुलसी मेरिज गार्डन में संपन्न हुई। बैठक को बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया जी ने प्रभु श्री राम जी को पुष्प माला अर्पण कर बैठक का प्रारम्भ किया। बैठक को संबोधित करते हुए दौनेरिया ने कहा कि जनसँख्या असंतुलन को रोकने के लिए हिन्दू धर्म में कम से कम तीन संतानें हों, जिसके लिए बजरंग दल समाज को जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में किस प्रकार तत्कालीन सरकार ने रामसेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करके विदेशी ताकतों को और मजबूत करने के षड्यंत्र को विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल ने विफल किया था।

प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी छह माह के संगठन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करवाई एवं संकल्प करवाया कि नियमित रूप से प्रति मंगलवार भोपाल विभाग के हर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो, जिससे हिन्दू समाज में धर्म के प्रति और जागरुकता आए।

बैठक में विभाग मंत्री, विभाग संयोजक, विभाग सह संयोजक सहित संपूर्ण विभाग समिति एवं भोपाल विभाग की सातों जिलों की जिला टोली उपस्थिति रही।

vhpmadhybharat@gmail.com

बजरंग दल मालवा प्रांत शौर्यकुंभ, इंदौर
गुलामी का कोई चिन्ह भारत भूमि पर नहीं रहेगा : मिलिंद परांडे

छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में आयोजित शौर्यकुंभ में 61,000 युवाओं ने नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया, हिन्दूओं पर होने वाले अत्याचारों का उत्तर बजरंग दल देगा, भारत में बढ़ती जनसँख्या असंतुलन को संतुलित करने हेतु तीन बच्चे का जन्म हिन्दू परिवार में हो ऐसा संकल्प भी लिया गया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण जगतगुरु स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज एवं संतों की गरिमामय उपस्थित में हुआ। प्रज्ञानानंद महाराज जी का भी उद्‌बोधन हुआ, अपने आशीर्वचन में महाराज जी ने कहा कि आसुरी शक्तियों का अंत निश्चित है, किसी विधर्मी को पाकिस्तान या बाँग्लादेश भेजने की आवश्यकता नहीं है, इनका स्थान जहन्नुम में है, जहाँ ये शीघ्र जाने वाले हैं, हमें अपने युवाओं को इसी प्रकार संगठित रखना है, ताकि समाज के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना हमारे हिन्दू वीर डटकर करें। पूर्व में मदरसों को अनुदान देने वाली सरकारें थी, आज सनातन को मानने वाली सरकारें देश में है, हिन्दू समाज को सनातन के समर्थन में हर प्रकार से तैयारी रखना चाहिए। शासन–प्रशासन सनातन व्यवस्था को मानने–समझने वाला हो, यह नितांत आवश्यक है।

इंदौर में पाँच अलग–अलग स्थान पर मालवा प्रांत के 8 विभागों की पार्किंग व उसी स्थान से शौर्य यात्रा निश्चित की गईं थी। चिमनबाग मैदान से इंदौर विभाग के कार्यकर्ता, एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज से शाजापुर विभाग के कार्यकर्ता, होलकर कॉलेज ग्राउंड से खरगोन, धार, रतलाम विभाग के कार्यकर्ता, इंदौर समाचार मैदान से उज्जैन, मंदसौर विभाग के कार्यकर्ता, मोदी का भट्टा सवांद नगर से खण्डवा विभाग के हजारों कार्यकर्ता बजरंग दल की गणवेश व टीशर्ट पहनकर शौर्य यात्रा के रूप छत्रपति संभा जी सभागृह नेहरू स्टेडियम पहुँचे।

जहाँ भव्य सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी ने कहा कि बड़ी चिंता का विषय है, नशे से युवा पीढ़ी का प्रचंड नुकसान हो रहा है, हमारी सफलता हमारा बल और हमारा शौर्य व जागरूकता से ही नशे के व्यापार को रोका जा सकता है, हमारे अनेकों व्यापार हिंदू समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं।

हर हिंदू अपनी सँस्कृति का रक्षक बने, अपने धर्म का कार्यकर्ता बने, राष्ट्र का प्रहरी बने, अपनी जाति, भाषा, प्रांत को भूलकर हम सब हिंदू एक हैं, यह भावना होना चाहिए। जब गौ रक्षा का प्रश्न आता है, तो हम वह संगठन हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक गौवंश की रक्षा करते हैं, परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है, यह संकल्प समाज का संकल्प बने, इसकी आवश्यकता है। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हजारों बहनों को लव जिहाद से बचाते हैं, किन्तु अब भी जागरण की आवश्यकता हर क्षेत्र में बनी हुई है। धर्मान्तरण करने वाली शक्तियों से टकराने का काम विश्व हिन्दू परिषद सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी बस्तीयों तक कर रहा है, समाज की संगठित शक्ति से ही हम सब चुनौतीयों का सामना करने में सक्षम होंगे। भारत किसी आताताया या गुलामी की किसी निशानी को कभी स्वीकार नहीं करेगा, हम हमारे पूर्वजों के गौरव व स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव मैदान में रहेंगे।

इस शौर्य कुंभ की तैयारी के निमित्त मालवा प्रांत में ज्वाईन बजरंग दल अभियान सभी 29 जिलों में 1 माह पूर्व चलाया गया, जिसके अंतर्गत 29 जिलों के 205 प्रखंडों में 200 त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम हुए, जिसमें 10000 कार्यकर्ताओं ने त्रिशूल दीक्षा लेकर सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। इस अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने 29 जिलों के 205 प्रखंड के 2275 खण्डों के 4200 ग्रामों व मोहल्लो में सम्पर्क किया, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं द्वारा 2200 नई समितियाँ बनाई व लगभग 2000 पुरानी समितियों का सत्यापन किया, 6000 नये संयोजक बनाये गए, 113 कॉलेज, 80 कोचिंग सेंटर व 75 जिमनेशियम व अखाड़ों से

संपर्क किया गया, ग्राम सम्पर्क, कॉलेज संपर्क, अखाड़ा संपर्क, नगर संपर्क के माध्यम से स्केनिंग द्वारा 57000 नये युवा बजरंग दल से जुड़े, जिनकी सूची संबंधित जिलों में भिजवाकर उनसे सीधे संपर्क किया गया, इनमें से हजारों युवाओं को सीधे बजरंग दल में मोहल्ला, ग्राम, खण्ड समिति में जिम्मेदारी दी गईं।

शौर्यभकुंभ की अगुवाई करने वाले इंदौर विभाग के 16 हजार कार्यकर्ताओं सहित मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खण्डवा, खरगोन, शाजापुर, धार के विभाग के कार्यकर्ता 500 बसों से 2500 चार पहिया करीब 5000 दो पहिया वाहनों सहित 61000 कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बजरंग दल की गणवेश टीशर्ट पहनकर भाग लिया। शौर्य यात्रा से पुरे मार्ग कार्यकर्ताओं से भरे हुए थे, ऐसे समय में मार्ग में आयी हुई आपातकालीन एंबुलेंस को भी कार्यकर्ताओं ने शीघ्र ही यातायात ठीक करवा कर गतंव्य तक पहुँचाने में सहायता की। जहाँ एक ओर हजारों कार्यकर्ता जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, वहीं मंच के समीप शौर्य कुंभ में मलखंभ का प्रदर्शन उज्जैन से आई दुर्गा स्वरूपा बहनें व बाल बजरंगी कर रहे थे, मलखंभ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों व इनके प्रशिक्षक को सम्मानीय मंच द्वारा सम्मानित किया गया। इंदौर के समस्त मुख्य मार्गो से होते हुए शौर्य यात्रा सभा स्थल की ओर आ रही थी, हजारों की सँख्या में बजरंगियों को देखकर इंदौर महानगर के समस्त जन सामान्य उत्साहित दिखाई दिए। शौर्ययात्रा मार्गों को समाज द्वारा भगवा पताकाओं, विभिन्न महापुरुषों के फ्लेक्स से सजाया गया था, इंदौर के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं रहवासी संगठनों द्वारा शौर्य यात्रा का अनेकों मंचों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल को भिन्न–भिन्न रंगोली के माध्यम से दुर्गावाहिनी द्वारा सजाया गया था, मातृशक्ति ने भी मंच लगाकर शौर्य यात्राओं का स्वागत किया, कार्यक्रम में आने वाले संत, अतिथियों का तिलक सम्मान प्रवेश द्वार पर मातृशक्ति द्वारा किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर के वरिष्ठ व्यापारी मोनू जी भाटिया कर रहे थे, कार्यक्रम में मुख्य रूप राधे राधे बाबा, सनातन धर्म के अनेक साधु संत, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया, मातृशक्ति राष्ट्रीय सह संयोजिका सरोज सोनी, दुर्गावाहिनी राष्ट्रीय सह संयोजिका पिंकी पंवार, विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह जी, क्षेत्र गौरक्षा प्रमुख सोहन विश्वकर्मा, क्षेत्र संयोजक विश्ववर्धन भट्ट, प्रांत उपाध्यक्ष महेश जी गोठी, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. माला ठाकुर, मालवा प्रान्त संगठन मंत्री खगेन्द्र भार्गव जी, प्रान्त मंत्री विनोद जी शर्मा, प्रांत सह मंत्री दिलीप जी जैन, प्रांत सह मंत्री महेश जी आँजना उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन बजरंगदल प्रांत संयोजक नितिन पाटीदार ने किया एवं बजरंगदल प्रांत टोली के साथ, सभी विभागों के गणमान्य विभाग संगठन मंत्री, विभाग मंत्री जी, विभाग संयोजक, सह संयोजक इंदौर के अनेकों समाज प्रमुख एवं बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शौर्य कुंभ में आमंत्रित सभी साधु संतों, वरिष्ठ अतिथियों, इंदौर शासन, प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मिडिया, कार्यक्रम व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का आभार प्रांत मंत्री विनोद जी शर्मा द्वारा किया गया।

दक्षिण तमिलनाडु में कार्यकारी समिति की बैठक

दिनांक 22 व 23 मार्च, 2025 को व्हीएनसी महाल, करूर जिला, तिरुपूर विभाग में राज्य पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तथा दक्षिण तमिळनाडु की कार्यकारी समिती की बैठक गणपती होम, गौ–पूजा तथा गणपती पूजन के साथ प्रारम्भ हुई।

बैठक में श्री व्यंकटेश जी–अखिल भारतीय सहसचिव, श्री केशव राजू जी–अखिल भारतीय सह गो रक्षा प्रमुख, श्री रामकृष्णन जी–प्रदेशाध्यक्ष दक्षिण तमिळनाडु, श्री सेतुरामन जी–संयुक्त प्रांत धर्मप्रसार मंत्री, श्री बालाजी–संयुक्त प्रान्त संगठन मंत्री, श्री लक्ष्मणा नारायणन–राज्य सचिव दक्षिण तमिळनाडु, श्री मुरुगेसन जी–अध्यक्ष करूर जिला, श्री विजय जी–तिरुपुर विभाग सचिव, करूर जिला की टीम तथा सर्व दक्षिण प्रांत उपाध्यक्ष, सह मंत्री तथा आयाम के प्रमुख उपस्थित रहे।

dheeran.vijay@gmail.com

अशोकनगर के मुंगावली में बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में उपस्थित बजरंग दल के रा. संयोजक श्री नीरज दौनेरिया जी

झुन्झुनूं। महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विहिप–बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया

करुर जिला के तिरुपुर विभाग में दक्षिण तमिलनाडु के कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन हुआ।

न्यूज़ीलैण्ड–रोटोरुआ हिंदू हेरिटेज सेंटर में मराठी मंडल ने पहली बार गुड़ी पड़वा समारोह का आयोजन किया

संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं विहिप केंद्रीय प्रबंध समिति के सदस्य स्व. श्रद्धेय श्री धर्मनारायण शर्मा का ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करते विहिप केन्द्रीय सहमंत्री व केन्द्रीय कार्यालय सहप्रमुख श्री मनोज वर्मा जी

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6

email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 13.04.2025
प्रेषण तिथि : 14-15 (अग्रिम-पाक्षिक)

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी